इन्साफ़-संग्रह ।

(तीसरा भाग)

मुंशी देवीप्रसाद, मुंसिफ़

इन्साफ़-संग्रह

तीसरा भाग

जिसमें राजों और बादशाहों आदि के सच्चे इन्साफ़ इतिहास-ग्रन्थों से चुन चुन कर लिखे गये हैं

लेखक

मुंशी देवीप्रसाद, मुंसिफ़, जोधपुर

प्रकाशक

इंडियन प्रेस, प्रयाग।

१९१७

प्रथम वार]

[मूल्य ।।=)

निवेदन ।

इस पुस्तक के पहले दो भाग इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद में छप चुके हैं। श्रेष्ठ तो क्या साधारण लोगों को भी ये ऐसे मन भाये कि कई जगहों से मेरे नाम तीसरा भाग लिखने के लिए भी पत्र आये, इसलिए मैंने अपने अवकाश का थोड़ा थोड़ा समय लगा कर यह तीसरा भाग भी इतिहास और समाचारपत्रों के आधार पर लिख डाला। पढ़ने वालों से प्रार्थना है कि कहीं भूल चूक रह गई हो तो सज्जनता से सुधारने की कृपा करें।

इस भाग में ३७ श्रीमानों के ४१ इन्साफ़ हैं जिनकी तफ़सील सूची में दी गई है।

देवीप्रसाद।

पड़ता था तो किसान लोग मालवे में चले जाते थे और दूसरे बरस बरसात होने की ख़बर सुन कर झट लौट आते थे। महाराजा बखतसिंहजी के राज्य में भी एक बेर काल पड़ा और मारवाड़ के किसान मालवे में चले गये उनमें दो गाँवों की दो औरतें गर्भवती भी थीं। दोनों ही के लड़के हुए। परन्तु एक का लड़का मर गया, उसके दूध बहुत होता था इसलिए वह दूसरी औरत के बच्चे को—जिसके दूध कम होता था—अपना दूध पिलाने लगी। वह लड़का उसी से हिल गया और उसकी असली माँ का दूध सूख गया। बरसात होने पर जब मारवाड़ी अपने देश को लौटे और जहां से उन दोनों औरतों के गाँवों का रस्ता फूटने लगा और बिछुड़ते वक्त जब लड़के की माँ ने दूध पिलाने वाली से अपना लड़का मांगा तो वह बोली कि लड़का तो मेरा है; तू मालिकिनी कैसे बनती है? उसने कहा नहीं, लड़का मेरा है। तूने दूध पिलाया तो क्या हो गया? इस तरह वे झगड़ती झगड़ती न्याय कराने के लिए महाराज के पास आईं। गवाह कोई नहीं था और बच्चा माँ को भूल गया था। वह दूध पिलाने वाली से ही हिला हुआ था। उस की गोद छोड़ कर अपनी माता की गोद में भी नहीं जाता था और वह यही प्रमाण अपना बच्चा होने का देती थी। महाराज ने लड़का लेकर दोनों को अलग अलग बैठा दिया और दोनों के पास दो आदमी भेज कर कहलाया कि हमें देवी को एक बत्तीसा (बलिदान) देना है, १०००) लेलो और लड़के की फारख़ती करदो। जिसके पास लड़का था उसने तो यह बात मंजूर करली पर जिसके पेट से पैदा हुआ था उसने मंजूर नहीं की, तब महाराज ने उसी को लड़का दिला दिया और दूसरी कायल होकर चली गई।

[२]

एक बेर महाराजा बखतसिंहजी का डेरा एक गाँव के पास था। रात को गाँव में से एका एक बड़ा कोलाहल सुन पड़ा। महाराज ने ख़बर मँगाई तो मालूम हुआ कि एक बनिये के घर बरात आई थी। उसका दूल्हा फेरे करते समय, गश खाकर, गिर पड़ा और मर गया। अब बनियों में दुलहिन का जोड़ा और गहना उतरवाने पर झगड़ा हो रहा है। दूल्हा वाले तो कहते हैं कि व्याह का जोड़ा, जो इस को पहिनाया गया है वह, उतरवा दिया

लिए बहुत दिनों तक कुछ फ़ैसला न हुआ। जब उनके आने पर मिसल पेश हुई तो उन्होंने भी दो अदालतों की एक राय देख कर लिखा कि ३०) मुद्दई को दिला दिये जावें और ५) वकील को वापिस किये जावें। इस हुक्म से मुद्दई को रुपया मिल गया और जाट टापता रह गया। निदान उसने महाराजा सरदारसिंह जी को अर्ज़ी दी। महाराजा साहिब ने सब मिसलें मँगा कर मुद्दई मुद्दायला के सामने देखीं और जाट से कहा कि तू इतनी जगह झूठा होगया तो मैं क्या कर सकता हूँ? जाट ने अर्ज़ की कि आप धनी हैं परमेश्वर हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं तो यही इन्साफ़ चाहता हूँ कि मैं झूठा किस तरह हुआ।

महाराजा साहिब ने कुछ देर सोच कर ड्योढ़ीदारों को हुक्म दिया कि अभी जंगल में जाकर जितने बकरियाँ चराने वाले मिलें उन सब को ले आओ। जब वे आये तो उन को बैठा कर मुद्दई से पूछा कि तेरा एक झाल पाला मुद्दायले ने अपनी कितनी बकरियों को कितने दिन में चरा दिया। उसने कहा कि २०। २५ बकरियों को दो दिन में चरा दिया। यह सुन कर आपने बकरियों वालों से पूछा कि ३। ४ झाल पाला २०। २५ बकरियाँ दो दिन में चर सकती हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि दो दिन में तो क्या २०। २५ दिन में भी नहीं चर सकतीं। ३०) का पाला थोड़ा नहीं होता है। महाराजा साहिब ने मुद्दई से पूछा तो वह कुछ ठीक जवाब नहीं दे सका और उस के गवाह भी—जो उसी के जांत-भाई राजपूत ही थे—कम-ज़ोर से ही थे।

महाराजा साहिब ने इस तहकीक़ात से मुद्दई का दावा झूठा साबित कर के ख़ारिज़ कर दिया और ३) उस की तनख़्वाह से कटवा कर जाट को दिला दिये।

खीची गुमानसिंह १०

खीची गुमानसिंह (अब राय बहादुर) संवत् १९५६ के काल में परगने वाली के हाकिम थे। गाँव बीजवे में, जो महाराज किशोरसिंह के पट्टे का गाँव था, उन्हीं के नौकर दो विलायती पठान एक घर में चोरी करने गये। घर वालों के जाग जाने से वे भागे और रास्ते में एक आदमी को, जिसने आड़

साहिब से कहा कि डिप्टी कमिश्नर साहिब तो आप से बहुत ही नाखुश होंगे। वाबू साहिब ने सरे इजलास ऊँची आवाज़ से जवाव दिया कि साहिब की खुशी के लिए मैं खुदा को नाखुश नहीं कर सकता। रहा नौकरी का डर सो मैं छोड़ने वाला ही हूँ।

चुनांचे ऐसा ही हुआ। दो महीने पीछे वावूजी पेंशन लेकर पूरी इज़्ज़त से चले गये।

कर्नल पेली २२

उसी किताव से यह इन्साफ़ कर्नल पेली, चीफ़ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा और एजेंट गवर्नर जनरल राजपूताने, का भी लिखा जाता है। अजमेर की म्युनिसिपल कमेटी के सेक्रेटरी ईशानचंद्र वावू, मेम्बरों के लायक़ न होने से, ज़ोर पकड़ गये थे और मेम्बरों से पूछे विना ही किसी का पाखाना या किसी का मकान वन जाने देते और फिर उसे गिरवा भी डालते थे। एक दिन समीरमल लोढ़ा ने, कमेटी के इजलास में, वावू से कहा कि आप को कमेटी की इत्तला विना कोई काम न करना चाहिए। वावू ने जवाव दिया, कमेटी क्या लियाक़त रखती है, जो मैं उससे पूछूँ? डाक्टर मरी साहव वावू को घूर कर वोले कि आपकी यह वात दुरुस्त नहीं है, तुम कमेटी का सेक्रेटरी है मेम्बर नहीं। वावू ने भी वैसा ही जवाव दिया कि कि तुम क्या विल्ली की सी आँखें निकाल कर मुझे डराते हो? डाक्टर साहिव इस वात से अपनी हतक समझ कर फ़ौरन खड़े हो गये और सांडर्स साहिव कमिश्नर के पास गये। उनसे कहा कि वावू ने मेरी आवरू लेली। सांडर्स साहिव ने उसी दम कमेटी के नाम हुक्म भेजा कि पूरा जलसा होकर वावू के जुर्म की तहक़ीक़ात की जाय। फिर क्या था, तीसरे ही दिन तहक़ीक़ात हुई। वावू ने कहा कि मैंने विल्ली की आंखों वाली वात ज़रूर कही थी। इस पर कमिश्नर साहिव के दवाव और डाक्टर साहिव की ख़ातिर से, सब मेम्बरों ने वावू के मौक़ूफ़ करने की राय लिख दी। एक वेचारे पादरी जेम्स ग्रे साहिव ने कहा कि मौक़ूफ़ी के वदले जुर्माने की सज़ा काफ़ी है। मगर कसरत राय से जव वावूजी मौक़ूफ़ ही किये गये, तव उन्होंने कमेटी और कमिश्नर साहिव के हुक्म की

सूची

इन्साफ़-संग्रह ।

तीसरा भाग

राजा चन्द्रापीड़ १

कशमीर के महाराजाधिराज चन्द्रापीड़ बड़े न्यायी थे । वे जब त्रिभुवन-स्वामी का मंदिर बनवाने लगे थे तब एक दिन वहाँ के कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि पृथ्वीनाथ मन्दिर की सीध में एक चमार की झोंपड़ी आती है, जिस पर वह सिलावटों को सूत नहीं रखने देता और हुक्म नहीं मानता ।

महाराजा—(झिड़क कर) तुम लोगों को धिक्कार है, तुमने उससे बिना ही पूछे मंदिर की नींव क्यों रख दी? अब वहाँ मन्दिर बनाना बन्द कर दो और दूसरी जगह ढूँढ़ो जहाँ किसी की मिल्कियत न हो । दूसरों की ज़मीन छीन कर मन्दिर बनाने से हमको पुण्य तो क्या होगा, उलटा हमारे प्रजापालन के धर्म में कलङ्क लग जावेगा । जब हमीं यों अन्याय करने लगेंगे तब दूसरे लोगों को न्याय पर कैसे चला सकेंगे और उनसे सदाचार या सद्व्यवहार की क्या आशा रक्खेंगे ?

चमार ने जब यह बात सुनी तो उसने राजा के पास अपना वकील भेजा । उसने हाज़िर हो कर अर्ज़ की, मेरे मवक्किल ने यह कहलाया है कि दरबार में आने योग्य तो मैं अछूत हूँ नहीं पर बाहर के आँगन में ही मुझे दर्शन मिलें तो मैं आकर कुछ अर्ज़ करूं । महाराज ने दूसरे दिन उसको बुला कर पूछा

कि क्या तुम्हीं हमारे पुण्य को रोकते हो ? जो ऐसा ही है तो अपने घर के बदले और सुंदर घर या मन-चाहा धन ले लो।

चमार —(महाराजा के न्याय और शील स्वभाव को अपने मन में माप तोल कर) हे राजन् ! जो मैं कहता हूँ उसे आप अभिमान छोड़ कर सुनें जब न तो मैं ही कुत्ते से कम हूँ और न आप राजा युधिष्ठिर से बढ़ कर हैं, तो फिर मेरी और आप की बात चीत होने से यह दरबारी लोग क्यों बुरा मान रहे और ख़फ़ा हो रहे हैं* । सुनिए, इस असार संसार में मनुष्य का नाशवान् शरीर ममता से ठहरा हुआ है, जो यह न हो तो किसी का काम ही न चले । देखिए, जैसे आपको अपने अलङ्कारों से सजे हुए शरीर का अहङ्कार है वैसेही हम ग़रीबों को भी अपने नंगे धड़ंगे शरीरों का है । आप को बड़े बड़े महलों वाली अपनी राजधानी जैसी प्यारी है वैसे ही मुझे भी अपनी यह बुरी सुरी झोंपड़ी अच्छी लगती है, जिसकी खिड़की घड़े के घेरे से सजाई गई है और जो जन्म-दिन से माता के समान मेरे दुख-सुख की साथिन रही है । फिर मैं उसे कैसे गिरने दूं या गिराते देखूं ? घर छिन जाने से आदमी को जो दुःख होता है उसको स्वर्ग से गिराया हुआ पुरुष या राज्य से निकाला हुआ राजा ही जान सकता है । हां, यों जो आप मेरे घर चल कर मांगें तो मुझे वह झोंपड़ी आप को देही देनी पड़ेगी, क्योंकि आप का हुक्म मानना मेरा धर्म है ।*

यह सुन कर महाराजा उस चमार के घर गये और उससे वह झोंपड़ी मांगी । उसने हाथ जोड़ कर कहा, कि जैसे पहले धर्म ने कुत्ते के रूप में राजा युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी वैसेही आज मुझ अछूत ने भी आप के धर्म की यह जाँच की है । आप का भला हो, और इसी तरह आप धर्म और न्याय से राज करते रहें—परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है ।

चमार ने यह कह कर अपनी झोंपड़ी महाराजा चंद्रापीड़ की भेट कर दी और महाराजा ने कर्मचारियों को मंदिर पूरा करने की आज्ञा देदी ।

---

* चतुर चमार ने महाभारत की इस कथा का दृष्टांत देकर कि, महाराजा युधिष्ठिर एक कुत्ते को विमान में अपने पास बैठा कर स्वर्ग में ले गये थे', उन दरबारियों पर क्या ख़ूब चोट की है !

द्रोणादेव २

कशमीर का राजा द्रोणादेव बड़ा न्यायी था, वह रोज़ अपने बाप के बनाये हुए मंदिर के दरवाज़े पर तड़के से शाम तक बैठ कर प्रजा का न्याय किया करता था। उसकी समझ में दुनिया भर के कामों में इन्साफ़ से अच्छा और कोई बड़ा काम राजा के करने का नहीं था। वह कहा भी करता था कि एक अन्याय-पीड़ित का न्याय करना हज़ार बरस की तपस्या के बराबर है। और वह राजा दयालु भी इतना था कि २ पैसे से ज़ियादा किसी साधारण अपराधी पर जुर्माना नहीं करता था। परन्तु राज-दंड का अखंड आतंक दिखाने के लिए उसने अपनी कचहरी में बड़े बड़े अपराधियों को खींचने के वास्ते शिकंजा बना रखा था, उसमें एक ही अपराधी को खींचने से उसकी इतनी धाक बैठ गई थी कि कोई बलवान् किसी निर्बल को सताने का साहस नहीं कर सकता था।

सहमदेव ३

यह राजा द्रोणादेव का बेटा और अपने बाप के समान ही न्यायी था। इसके चचेरे भाई शागा ने किसी किसान की बेटी पर आसक्त हो बलात्कार कर उसका सत् भंग कर दिया था। जब इस कुकर्म की ख़बर सहमदेव को मिली तो उसने अपने चचा का स्नेह छोड़ दिया और अपराधी को मरवा डाला। उसकी माँ बहुत रोई पीटी, चीखी चिल्लाई और अन्त में ममता से विवश होकर अपने बेटे की लाश के साथ वह भी जल गई। इस दुर्घटना से राजा के दिल पर भी ऐसी चोट लगी कि वह भी २। ४ दिन तक इसी शोक-संताप में विकल रह कर मर गया।

इस न्यायी राजा ने अंत में अपने प्राण दे दिये, परन्तु न्याय को हाथ से नहीं जाने दिया।

महाराना संग्रामसिंह ४

महाराना संग्रामसिंह न्याय, नीति और राजरीति के बहुत पाबंद थे— किसी तरह भी अपनी मर्यादा से चल विचल नहीं होते थे। एक बेर उदयपुर में आप जलूसी सवारी से महलों को पधारते थे, तीनों महाराज-कुमार घोड़ों

पर चढ़े हुए उन के आगे आगे चलते थे। उनमें एक महाराज-कुमार अपनी आमदनी से ज़ियादः खर्च करते थे और इसी लिए एक बनिये के क़र्ज़दार रहते थे और क़र्ज़ा भी नहीं चुकाते थे। बनिये की उन तक पहुँच नहीं होती थी, इससे वह बहुत हैरान था। अब जो उसने उन महाराज-कुमार को सवारी में देखा तो उन का नाम ले लेकर कहा कि 'आप मेरा रुपया दिये बिना आगे बढ़ें तो श्रीदरबार की आन है'।

पहले रजवाड़ों में दरबार की आन बहुत मानी जाती थी। कोई किसी को मारता भी होता और जो वह दरबार की आन दिला देता तो मारने वाले का हाथ फिर उस पर नहीं उठता था। दोनों ही दरबार में जाकर अपना न्याय करा लेते थे। मानों 'आन' राज का एक क़ानून ग़रीबों के बचाव और न्याय के लिए था।

आन सुनते ही महाराज-कुमार को उसका रुपया चुकाने के लिए खड़ा रह जाना चाहिए, मगर वे जब नहीं रुके और महाराना ने बनिये को चिल्लाता हुआ सुना तो सवारी ठहरा कर उसका हाल पूछा और कुँवर को कहला भेजा कि सवारी में से अलग हो जाओ; जब तक बनिये का राज़ीनामा न करो तब तक महल में न आओ।

महाराज-कुमार ठहर गये और सवारी निकल जाने पर बनिये की दुकान पर जा उसको राज़ी करने लगे। उसने भी महाराना का यह इन्साफ़ देख कर राज़ीनामा कर दिया।

महाराजा सूरसिंहजी ५

परगने जेतारण के तीन गाँवों* के जागीरदारों में—जो तीनों ही ऊदावत खाँप के राठौड़ थे—सरहद का झगड़ा बहुत बरसों से चला आता था। जब बरसात होती थी तो जिस जगह तीनों गाँवों की सरहद मिली थी वहाँ की ज़मीन जोतने बोने पर हथियार चला करता था और इसलिए वह ज़मीन भी पड़ी रहती थी और झगड़ा भी नहीं मिटता था, बल्कि इस झगड़े से उन में वैर हो गया था। महाराजा सूरसिंहजी के समय में तो यहाँ तक फ़ितूर बढ़ा कि तीनों तरफ़ के सैकड़ों राजपूत उस ज़मीन पर मरने

---

* नाम उन तीनों गाँवों के रानीवाल, खातीखेड़ा और गिरनिया हैं।

मारने को जमा होगये। महाराज ने यह ख़बर सुन कर, जीव-रचा के लिए, फ़ौज भेजी और तीनों जागीरदारों को बुला कर उनसे आगे लड़ाई-दङ्गा न करने का मुचलका माँगा। उन्होंने अर्ज़ की कि श्रीहजूर न्याय करदें तो आप ही मुचलका हो जायगा, नहीं तो मुचलके से भी कुछ न होगा।

महाराज ने कहा कि न्याय कराने के लिए अपनी अपनी हक़दारी का सबूत दो। वे दोनों कई कई गवाह लाये और उनकी गवाही दिलाई, परन्तु महाराजा को यह तसल्ली न हुई कि झगड़े की ज़मीन वास्तव में किस गाँव की है। क्योंकि हरेक गाँव का गवाह अपने ही गाँव की वताता था, भुक्त-भोग भी जब जब जिसका ज़ोर रहा उसी उस का पाया जाता था, इसलिए महाराज ने तहक़ीक़ात छोड़ कर राज़ीनामा कराना चाहा। यह और भा मुशकिल काम था। क्योंकि ज़मीन छोड़ने पर कभी कोई राजपूत राज़ी नहीं होता है और राज़ी हुए विना राज़ीनामा कैसा? महाराज ने, एक उपाय सोच कर, तीनों जागीरदारों को बुला कर कहा कि तुम भाई भाई होकर जिस थोड़ी सी ज़मीन पर लड़ते हो और एक दूसरे के ख़ून के प्यासे बने हुए हो, वह जब तक एक तरफ़ न होगी तब तक तुम्हारा वैर भाव न मिटेगा। उसके एक तरफ़ होने की सूरत यह है कि तुम सब मिल कर यह ज़मीन अपने कथा-व्यास दामोदर को देदो, जिससे तुम्हारा नाम और पुण्य अमर हो जाय। इससे यह वैरभाव भी मिट जायगा और वैसा ही भाई-चारा बना रहेगा जैसा तुम्हारे बाप-दादाओं में, ठेठ से यह झगड़ा चलने के, पहले था। उन्होंने भी जो इसके सिवाय और कोई उपाय उस पुराने झगड़े के मिट जाने का न देखा, तो महाराज के हुक्म को मंज़ूर कर लिया। महाराज ने, अपने सामने, उनसे उस ज़मीन का संकल्प व्यास दामोदर को दिला कर पट्टा कर दिया और उन जागीरदारों को एक दूसरे के हाथ से अफ़ीम पिला कर रुख़सत किया। यह ज़मीन, जो १०० वीघे के लगभग है, अब तक व्यास दामोदर की संतान के पास है और उस के साथ साथ महाराजा सूरसिंहजी के न्याय की याद भी बनी हुई है।

महाराजा बखतसिंहजी ६

अब तो बहुधा ऐसा कम होता है, परन्तु पहिले जब मारवाड़ में काल

जावे और दूलह की अरथी के साथ इसे भी कर दिया जावे। आगे सती होना न होना इसकी मरज़ी पर है। दुलहिन नादान है, कुछ नहीं समझती। हकी बकी खड़ी हुई देख रही है कि यह क्या हुआ और क्या हो रहा है। उसके माँ-बाप रो रहे हैं कि हाय बेटी फेरों में ही विधवा होगई—अब क्या करें ?

महाराज ने आदमी भेज कर कहलाया कि लड़की जैसा जोड़ा और गहना अभी पहने है, वैसा ही उसे पहने रहने दो और कोई कुछ गड़बड़ न करे। हम तड़के ही आकर इसका निर्धार करेंगे कि यह व्याही गई या क्वाँरी है ? यह हुक्म सुन कर सब लोग चुप हो गये और महाराज का रास्ता देखने लगे।

महाराज बड़े तड़के ही, स्नान, संध्या और दान-पुण्य करके, वहाँ पधारे और पूछा कि क्या झगड़ा है ? तब लड़की वालों ने कहा कि दूलहा रात को फ़ेरों में मर गया है, अब ये लोग लड़की को रँड़साला पहिना कर ले जाना चाहते हैं। पर हमें यह बात मंज़ूर नहीं है। जो होना था वह तो हो ही गया, अब ये लड़की को ले जाकर क्या करेंगे—उलटा दुख देंगे। बरातियों ने कहा कि जब दुलहिन का सुहाग ही जाता रहा है तो फिर व्याह का जोड़ा गहना पहनाये रखने की क्या ज़रूरत है ?

महाराज—फेरे होगये हैं या नहीं ?

बराती—तीन तो होगये हैं, चौथे में यह गजब हुआ कि दूलहा मर गया।

महाराज ने पहिले तो गाँव के सब पंचों को जमा किया और फिर उनकी औरतों को बुलाकर हुक्म दिया कि तुम व्याह के गीत, आदि से लेकर अंत तक, गाकर सुनाओ। औरतों ने पहिले तो गणेशपूजा वगैरह के गीत गाकर सुनाये, फिर तेल, तोरन और आरती आदि के गाकर अंत में फेरों का यह गीत गाया कि 'पहिले फेरे बनड़ी बाबा री बेटी', 'दूजे फेरे बनड़ी काका री भतीजी, 'तीजे फेरे बनड़ी मामा री भाणजी' 'चोथे फेरे बनड़ी हुई रे पराई'।

इस पर महाराज ने फ़रमाया कि बनड़ी चौथा फेरा हो जाने से पराई अर्थात् उस आदमी की होती है जो उसको व्याहने आता है; और तीन फेरों तक

बाबा की बेटी, काका की भतीजी और मामा की भानजी ही बनी रहती है। इस लड़की ने चौथा फेरा नहीं किया है, फिर कैसे मान लिया जावे कि इसका व्याह होगया है और इसे विधवा समझ कर रँड़साला पहिनाया जावे। जो रीति अनादि से चली आई है और गीतों में गाई जाती है वह कैसे तोड़ी जावे ?

महाराज का यह माकूल न्याय सुन कर सब लोग कायल होगये और महाराज ने बरात वालों को समझा कर उस लड़की की शादी, उन्हीं की तज़वीज से, दूसरे लड़के के साथ करादी।

जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह का मारवाड़ी इन्साफ़ ७

आपके दादा महाराजा मानसिंह ने चंद्र-ग्रहण में एक श्रीमाली ब्राह्मण को परगने जोधपुर के काकेलाव गाँव में भूमिदान दी थी। पीछे से वह गाँव राव राजा सज्जनसिंह की जागीर में हो गया। आपके समय में रावराजा के बेटे फ़तहसिंह ने बहुत सा कर्ज़ा कर लिया था, इसलिए उनकी जागीर का बंदो-बस्त आपने मीर फ़ैयाज़अली को सौंपा था। मीर साहब, मुसलमान अमीरों की तरह, ऐश-आराम में पड़े रहते थे और उनके कामदार उस जागीर का मनचाहा काम करते थे। उन्होंने वह ज़मीन भी उस श्रीमाली के पोते सवाई-राम से छीन ली। सवाईराम कई बरस तक मीर साहब की हवेली और दर-बार की ड्योढ़ी पर पुकारता फिरा। मीर साहब बड़े आदमी और आपके कृपा-पात्र थे और उस समय मुसलमान कृपापात्रों का बड़ा दल बल था। इसीलिए सवाईराम की कुछ सुनाई नहीं होती थी। इसी डर से वह अपने मामले को अदालतों में डालना भी नहीं चाहता था। निदान उसने एक दिन राय बहादुर मुन्शी हरदयालसिंहजी से अपना हाल कहा और महाराजा मानसिंह का दिया हुआ दानपत्र भी उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम महाराज सर प्रतापसिंहजी को अर्ज़ी दे दो, ये मुसलमान कृपापात्र उन्हीं से दबते भी हैं। उसने कहा मैं तो अर्ज़ी-पुर्ज़ा कहीं नहीं देता, मारवाड़ी इन्साफ़ चाहता हूँ। मुन्शीजी ने कहा कि तो तू राई के बाग़ चल, मैं आता हूँ। वह वहाँ जाकर, दरबार की ड्योढ़ी पर खड़ा हो गया। पीछे से मुन्शीजी आये तो उसको भी हुज़ूर में ले गये। आपने पूछा कि मुंशी यह कौन है! मुंशी ने अर्ज़ की कि

हुज़ूर हमारे पंजाब देश के ब्राह्मण तो ग्रहण का दान लेते नहीं हैं और जो कोई ले भी लेता है तो वहाँ के राजा फिर कभी उसको लौटा नहीं लेते। आपने फ़रमाया कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण तो ग्रहण का दान ले लेते हैं और राज भी उसको कभी ज़ब्त नहीं करता है। तब सवाईराम ने वह दानपत्र दिखा कर अर्ज़ किया कि अन्नदाताजी राज तो नोज ले परन्तु मियाँ ने छीन लिया है। मियाँ भी वहाँ हाज़िर थे। आपने कहा कि मियाँ हमारे कबूतरख़ाने के कबूतरों को क्यों मारते हो? क्या इतनी-बड़ी तनख्वाहों, जागीरों और हाथ ख़र्च तथा तोशेख़ाने के कामों से भी पेट नहीं भरा? मियाँजी नीचा सिर करके सवाईराम को अपने डेरे पर लेगये और कामदारों से कहने लगे कि अभी इस का राज़ीनामा लो। कामदार भी बड़े काइयाँ थे। उन्होंने बड़ी मुशकिलों से ५०)रु० देकर सवाईराम से राज़ीनामा करा लिया और उस का खेत छोड़ दिया।

यह मारवाड़ी इन्साफ़ था कि जब हुआ तो दम भर में होगया। बिन हल्दी फिटकरी के चोखा रङ्ग इसी को कहते हैं।

ऐसा ही एक और मारवाड़ी [२] इन्साफ़ भी इन्हीं महाराजा साहिब का है कि गूलर के ठाकुर बिसनसिंह से और पड़ोस के एक ठाकुर से ज़मीन का झगड़ा था। लाक साहिब ने मौक़े पर तहक़ीक़ात कर के, दोनों की रज़ामंदी से, यह बात ठहराई कि एक जाट सिर पर गंगाजली लेकर रामधरम से झगड़े की ज़मीन में सरहद का निशान करता हुआ निकल जावे। इस पर जाट उक्त रीति से निकल तो गया, मगर ठाकुर बिसनसिंह ने कहा कि यह मुदायले की मिलावट से, झगड़े की ज़मीन छोड़ कर, ख़ास मेरी ज़मीन में से निकला है। इससे मुझे यह फ़ैसला मंज़ूर नहीं। इससे लाक साहिब नाराज़ हो गये। उन्होंने जोधपुर के रज़ीडंट कर्नल पावलट को शिकायत लिखी। पावलट साहिब ने राज में लिखा तो महाराज सर प्रतापसिंह ने गूलर के पट्टे का एक गाँव ज़ब्त कर दिया। ठाकुर दरबार की ड्योढ़ी पर आ गया और महाराजा साहिब से अर्ज़ कराता रहा कि मुझ पर ज़ुलम हुआ है—इन्साफ़ होना चाहिए। परन्तु कुछ हुक्म नहीं हुआ। दो बरस योंही गुज़र गये। एक बरस की गाँव की पैदावार राज में आ गई। जब दूसरे बरस फ़सल तैयार हुई। तब, ठाकुर ने फिर अर्ज़ की

उस पर आपने फ़रमाया कि ठाकुराँ कुछ हाथ-पैर हिलाओ। ठाकुर ने इतना इशारा पाकर अपने बेटे को लिख दिया। वह बहुत से आदमी साथ जाकर उस गाँव की पैदावार ले आया।

ज़ब्ती के अदमी ने आकर लाक साहिब से फ़रयाद की कि ठाकुर गाँव लूट ले गया। लाक साहिब गुस्सा होकर पावलट साहिब के पास गये तब पावलट साहिब उनको लेकर हुज़ूर में आये। हुज़ूर उस वक्त खाना खाकर सोये ही थे कि महाराज प्रतापसिंह ने आकर पाँव दबाने वाले को इशारा किया। उसने ज़रा ज़ोर से पाँव दबाये तो हुज़ूर ने आँख खोल कर पूछा क्या है। महाराज ने अर्ज़ की कि ग़रीब-न्याज [नवाज़] पावलट साहिब और लाकसाहिब आये हैं। हुज़ूर ने फ़रमाया, क्या यह मिलने का वक्त है? महाराज ने अर्ज़ की, कोई ज़रूरी काम है। फ़रमाया कि बुलाओ। आप उठ कर पलँग पर बैठ गये। दोनों साहिब कुरसियों पर आ बैठे। महाराज प्रतापसिंह और मुन्शी हरदयालसिंह खड़े रहे। आप ने पूछा क्या है, तो उन्होंने गूलर के ठाकुर की सेनाज़ोरी और फ़ौज़-दारी करने का हाल कहा। महाराज ने अर्ज़ किया कि गूलर के ठाकुर ने लाक साहिब का फ़ैसला भी नहीं माना और इस कुसूर में जो गाँव ज़ब्त हुआ था उसकी पैदावार भी लूट ली। अब जब तक वह हुक्म की तामील न करे तब तक उसकी जागीर ज़ब्त हो जाने की राय रेजीडंट साहिब की है, आगे हुज़ूर की मरज़ी।

हुज़ूर ने फ़रमाया, क्या ठाकुर ने किसी का घर लूटा है, या कहीं डाका डाला है, जो उसकी जागीर ज़ब्त करली जावे? वह तो दो बरस से यहीं बैठा है, पैदावार लूटने को कहाँ से गया? लाक साहिब ने कहा, वह तो यहीं है, उसके बेटे ने यह लूट की है। हुज़ूर ने फ़रमाया, यह दूसरी बात है। लेकिन जो कोई किसी के फ़ैसले से नाराज़ होता है तो क्या उसकी नज़रसानी और निगरानी नहीं हो सकती है? ज़मीन का मामला तो दीवानी है। तुम अपने फ़ैसले की नज़रसानी कर के निगरानी कर लो और गाँव की ज़ब्ती उठा दो।

यह सुन कर पावलट साहिब ने कहा कि ठाकुर ने लाक साहिब की गुस्ताख़ी भी की है और गालियाँ भी दी हैं।

हुज़ूर ने फ़र्माया कि ठाकुर बुड्ढा पुराना आदमी और गांव का रहने वाला है। गांव के लोग ऐसे ही बोलते हैं जिसको हम तुम गाली और गुस्ताख़ी समझते हैं। मैं उससे कह दूँगा, वह माफ़ी माँग लेगा और मुन्शी हरदयालसिंहजी को हुक्म दिया कि तुम कल ठाकुर को अपने साथ ले जाना। वह पावलट साहिब और लाक साहिब से माफ़ी माँग ले। बस, उस दिन तो इतनी बात हो कर रह गई। दूसरे दिन मुन्शी ठाकुर को रेज़ीडेंसी के बँगले पर ले जाकर आप अंदर इत्तिला करने गये। ठाकुर ने उनसे कह दिया था कि मैं चलता तो हूँ, मगर लाक साहिब मुझसे नाराज़ हैं, जो वह कुछ बुरा भला कहेंगे तो मैं तमंचा खाकर वहीं मर जाऊँगा।

ठाकुर ८०। ६० बरस का हो गया था और दो आदमियों के सहारे चलता था, तो भी हाथ में भरा हुआ तमंचा लिये रहता था। जब साहिब के बुलाने पर बँगले में जाने लगा तो संतरी ने रोका और कहा कि हथियार रख कर अंदर जाओ। ठाकुर ने कहा भाई, जैसे ब्राह्मण के जनेऊ होता है वैसेही हम राजपूतों के हथियार हैं। जब ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाता है तो वह जब तक दूसरा जनेऊ न पहन ले तब तक बोलता नहीं है, वैसे ही हमारा भी हाल है। मुझे हुज़ूर साहिब ने साहिब लोगों के पास माफ़ी माँगने को भेजा है। तू जो मेरा तमंचा रखा लेगा तो फिर साहिबों के सामने मुझसे माफ़ी न माँगी जायगी। तू साहिब से पूछ आ।

संतरी ने जाकर चपरासी को यह हाल सुनाया। चपरासी ने रज़ीडेंट से कहा। उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जैसे आता है वैसे ही आने दो। तब ठाकुर उसी तरह तमंचा लिये हुए दो आदमियों के सहारे से, अंदर गया। मुंशीजी ने पहिले सब हाल कही दिया था, इस लिए दोनों साहिब उसको देखते ही उठे और हाथ मिला कर कुरसी पर बैठाया। ठाकुर ने मारवाड़ी बोली में पुराने ठाकुरों की सी ठसक से कहा कि साहिब बहादुर, हुज़ूर का हुक्म माफ़ी माँगने का है; कहो तो तुम्हारे आगे तमंचा रख दूं ? यही राजपूतों का माफ़ी माँगना है।

यह सुन कर लाक साहिब और पावलट साहिब ने कहा कि हमने माफ़ किया। आप और तकलीफ़ नहीं करें।

संवत् १९१४ के ग़दर में जब देशी लोग मारवाड़ की तरफ़ आये थे तो यह ठाकुर बिशनसिंह भी उनसे मिल कर मारवाड़ में लूट-मार करने लगा था—उसकी यह बात मशहूर थी। इसके लिए राज से उसे कुछ सज़ा भी मिली थी। मुंशी हरदयालसिंहजी ने उसी पर से मज़ाक़ कर के कहा कि ठाकुर साहिब, आप ने आदमी तो बहुत मारे होंगे? ठाकुर ने कहा, क्या कहें मुंशीजी उनके ख़ून की तो नदियां मेरे पीछे बहती हैं, परन्तु मैंने उन्हीं को मारा है जो मुझे मारने को आये थे।

यह सुन कर दोनों साहिब हँसे और ठाकुर को विदा करके दरबार में कहला दिया कि हमने ठाकुर का कुसूर माफ़ किया; आप इसको समझा दें कि ज़मीन के मुक़द्दमे में इसको जो कुछ उज़्र हो तो नज़रसानी करले और गांव की ज़ब्ती उठा दी जावे।

इस तरह ठाकुर के साहस और महाराजा साहिब के मारवाड़ी इन्साफ़ से एक ही दिन में ठाकुर का उलझा हुआ वह मुकद्दमा साफ़ हो गया जिसका बरसों में भी होना मुशिकल था। ठाकुर ज़ब्ती की उठंत्री लेकर घर गया और फिर तुरंत ही मर गया, परन्तु इन्साफ़ न होने का पछतावा अपने साथ न ले गया।

महाराजाधिराज सर कर्नल श्रीप्रतापसिंह ८

संवत् १९४० में लोयाना फ़तह करने के पीछे, वहां के इन्तज़ाम के लिए, कुछ दिन आप परगने जसवंतपुर में रहे थे। एक दिन आप गांव कलापुरे की तरफ़ से अकेले टहलते टहलते आ रहे थे। रास्ते में एक जवान लड़की हाथ जोड़े खड़ी मिली। आपने पूछा, तू कौन है और क्या चाहती है?

लड़की-मेरे मां-बाप मर गये हैं, २५ बरस की हो गई हूँ, अब तक मेरा ब्याह नहीं हुआ है। गाड़ी भर मिसलें बन गई हैं, परन्तु कुछ तसफ़िया नहीं होता है। मैं इन्साफ़ चाहती हूँ।

आप—इतनी मिसलें क्यों बनी हैं, मुद्दई मुद्दायला कौन हैं?

लड़की—मेरे ही काका, बाबा, और मामा, और मौसा हैं।

आप—तू कौन जाति है?

लड़की—पोरवाल।

आप—तू जाकर हाकिम से कहदे कि मिसलें निकाल रक्खें, मैं अभी आता हूँ।

कुछ देर में आप जसवंतपुरे की कचहरी में पधारे। मिसलें देखीं, कई काग़ज़ और मुद्दई मुद्दाअ़ले के बयान सुन कर आपने फ़रमाया कि पोरवालों में बेटियों का बहुत सा रुपया लेते हैं और बेटों के व्याह में देते हैं। परन्तु इस लड़की के न बाप है, न मा है, न भाई; और ये लोग सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए लड़ते हैं। जो ज़ियादा रुपया दे उसी के हाथ ये इस लड़की को बेचा चाहते हैं। इसका आराम नहीं देखते। ज़ियादा और मुँह माँगे रुपये बूढ़े लोग दिया करते हैं, जो ऐसी ऐसी बे-बस और बे-ज़ुबान लड़कियों को विधवा करके जलदी ही मर जाते हैं। इस लिए इन मिसलों को ख़ारिज कर दो। लड़की जवान हो गई है और अपना भला बुरा समझने लगी है इस लिए इसको अख़्तियार है कि अपनी जाति में जिससे चाहे विवाह कर ले। काका, बाबा, मामा, मौसा जो स्वार्थ के लिए इसे ख़राब किया चाहते हैं इसमें किसी तरह का दख़ल न दें। यह हुक्म होते ही मिसलें तो दाख़िल दफ्तर हो गई और उस लड़की को परवाना मिल गया। उसने दूसरे ही दिन, अपनी पसंद के एक जवान और धनवान् पोरवाल से विवाह कर लिया।

महाराजा सरदारसिंहजी ९

जोधपुर की दीवानी अदालत में एक सरकारी नौकर जोधा राठौड़ केसरसिंह ने एक जाट के नाम यह दावा किया कि इसने मेरा ३। ४ झाल पाला अपनी बकरियों को चरा दिया है। अदालत ने दो गवाहों का बयान लेकर पाले की क़ीमत ३०) और नालिश का ख़रचा ३) कुल ३३) की इकतरफ़ा डिगरी जाट पर करदी। जब उस को डिगरी की ख़बर पहुँची तो उसने आकर अपील की। अपील के भी ख़ारिज हो जाने पर उसके वकील ने ३५) महकमे आला में दाख़िल करके यह दरख़्वास्तदी कि जो मुझ पर ३०) का पाला चरा देना साबित हो जावे तो ३०) मुद्दई को दिलाये जावें और ५) जुर्माने के राज में रखे जावें। उन दिनों महकमे आला के आला हाकिम महाराजा सर प्रतापसिंह चीन की लड़ाई में गये हुए थे, इस

में आकर जाने में विघ्न किया था गोली से मार कर निकल गये। महाराज किशोरसिंहजी के कामदार मच्छूखाँ वग़ैरह ने पहले तो उन्हीं को पकड़ा, मगर फिर उन्हें बचाने के लिए एक परदेशी विलायती को तीन दिन पीछे इस बहाने से पकड़ लिया कि इस की छुरी मौक़े वारदात पर पड़ी मिली थी और यही क़ातिल है। जब मिसल हुकूमत में भेजी तो उन्होंने ठाकुर साहिब से भी हाँ में हाँ मिला देने की कोशिश की और सदर में मिसल भेज देने का दरबार का हुक्म भी मँगा दिया। क्योंकि यह मुक़द्दमा ख़ून का था—हुकूमत के अख़तियार का नहीं। परन्तु हाकिम को भी कुछ अख़तियार मजिस्ट्रेटी के होते हैं जिस से ऐसे मुक़द्दमों में उन्हें अपनी राय लिखनी पड़ती थी और उधर महाराज किशोरसिंह को भी दूसरे जागीरदारों से बढ़ कर दीवानी फ़ौजदारी के अख़तियार थे। क्योंकि ये महाराजा साहिब के सगे चचा और महाराजा प्रतापसिंहजी के सगे भाई थे। इधर खीची गुमानसिंह भी महाराजा प्रतापसिंह के भरोसे के सरदार थे और उनको महाराज किशोरसिंह जी के कामदारों की तहक़ीक़ात पर पूरा भरोसा नहीं था। वह परदेशी विलायती भी कहता था कि मुझे तीन दिन पीछे पकड़ा है और उसी वक़्त मेरी छुरी छीन कर मौक़े वारदात पर पड़ी हुई मिलने की बात मेरे फाँसने के लिए बनाली है। मैं परदेशी हूँ, मेरा वाली वारिस और गवाह भी यहाँ कोई नहीं है। आपही के इन्साफ़ का भरोसा है। तीन दिन पीछे पकड़ने और मौक़े वारदात पर छुरी मिलने का कुछ पता मिसल से नहीं चलता था, इस लिए ठाकुर साहिब ने इस को अमर तनकीह तलब ठहरा कर उस विलायती से पूछा कि तीन दिन पीछे पकड़े जाने और छुरी तेरे पास होने का क्या सबूत है। उसने एक राजपूत का नाम लिया कि वारदात होने से तीसरे दिन मैंने यह छुरी उसको दिखाई थी, परन्तु उसके साथ मोल नहीं ठहरा इसलिए मैं अपने डेरे पर उसे ले आया। उसी दिन मैं पकड़ लिया गया और छुरी छीन कर पहरे में रख दी गई।

ठाकुर साहिब ने उस मौतबर राजपूत को बुला कर छुरी की बात पूछी, तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पास यह छुरी इस वारदात के पीछे लाया था।

ठाकुर साहिब ने उस छुरी को कई छुरियों में रख कर उस राजपूत

से कहा कि जो छुरी तुमने देखी है वह उठालो। राजपूत ने रामजी का नाम लेकर वही छुरी उठा ली। इस जाँच से ठाकुर साहिब को निश्चय होगया कि यह विलायती सच्चा है और मौके वारदात पर छुरी पड़ी मिलने की बात झूठी है। फिर इन्होंने अपनी राय लिख कर मिसल सदर में भेजदी और वह विलायती बरी होगया।

किसीने एक विद्वान् से न्याय का लक्षण पूछा था। उसने कहा कि निरपराधी तो मारा न जाय और अपराधी बचने न पाय—यही न्याय का लक्षण है। ठाकुर साहिब ने वही करके दिखा दिया।

लंदन की अदालत का एक इन्साफ़ ११

यही खीची गुमानसिंह जी अब से कोई ३० बरस पहले एक बेर महाराजा सर प्रतापसिंह के हुक्म से, मानसिंह की आँख का इलाज कराने के लिए, लंदन गये थे और एक अँग्रेज़ के मकान में रहे थे जिस का भाड़ा पहले ही देदिया था। परन्तु कुछ दिनों पीछे उसने किराया फिर माँगा तो इन्होंने कहा कि हम तो देचुके हैं। यह सुन कर उसने रसीद माँगी तो कहा कि हमने तुम्हें भला आदमी समझ कर रसीद नहीं ली थी। हम नहीं जानते थे कि तुम ऐसी बेईमानी करोगे? इससे बुरा मान कर उसने अदालत में नालिश करदी और कहा कि मुद्दायले बड़ों के हिमायती हैं, महाराजा प्रतापसिंह के बेटे हैं, मेरा भाड़ा नहीं देते।

मजिस्ट्रेट ने इनको बुला कर पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने भाड़ा पहले ही देदिया है और हम महाराजा प्रतापसिंह के बेटे भी नहीं हैं—नौकर हैं। इसने यह भी झूठ कहा है।

मजिस्ट्रेट ने मुद्दई से इस बात का सबूत पूछा तो वह कुछ सबूत न देसका और बोला कि मैं तो ऐसा ही जानता हूँ। इधर इन्होंने अपने नौकर होने का सबूत महाराजा साहिब के काग़ज़ों से देदिया।

फिर मजिस्ट्रेट ने रसीद की बात पूछी तो कहा कि हमारे मुल्क में भले आदमियों से रसीद लिखाने का क़ायदा नहीं है—सैकड़ों, हज़ारों रुपयों के काम भरोसे पर, बिना ही लिखा पढ़ी के, हुआ करते हैं।

मजिस्ट्रेट ने मुद्दई से कहा कि ये झूठ नहीं कहते हैं। इन के मुल्क में

ऐसा ही दस्तूर है। तुम झूठे हो, तुम्हारा दावा सही नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि तुमने इनको हिमायती और महाराजा प्रतापसिंह का बेटा ग़लत कहदिया। इनसे कहा कि जितना भाड़ा तुमने देदिया है उतने अरसे तक तुम इसके मकान में रहो, फिर चाहे दूसरा मकान लेलेना और चाहे इसी के मकान में यह रखे तो रहना।

आख़िरदाद १२

ईरान के बादशाह, फ़ीरोज़, के वकील हिन्दुस्तान में राजा रामदेव से कर लेने आये थे। जब वे कर लेकर ईरान को लौटे तो उन्होंने रास्ते में फ़ारस के हाकिम आखिरदाद की भलमनसी और न्याय-नीति से उस देश को पहले से बहुत ज़ियादा आबाद पाया और वहाँ की प्रजा का चाल-चलन भी ख़ूब सुधरा हुआ देखा। उन्होंने फ़ारोज़ से उसकी बहुत तारीफ़ की। फ़ीरोज़ ने उसको बुला कर अदालत का काम सौंपा। उसने अपनी जान-माल के बचाव का फ़रमान और मारने तारने का अख़्तियार लेकर काम शुरू किया। पहिले बादशाह के एक नातेदार को, जिसने एक स्त्री की ज़मीन अपने बाग़ में मिला ली थी, पकड़ बुलाया और ज़बरदस्ती मुद्दइया के बराबर खड़ा करके रूबकारी की। क़ुसूर साबित हो जाने पर उसकी चौगुनी ज़मीन मुद्दइया को दिला दी।

फिर एक आदमी ने उस पर ख़ून का दावा किया। आखिरदाद ने जब उसे भी सच्चा पाया तो उसको मौत की सज़ा दी। इस तरह छः महीने तक उसने अपराधियों को दंड दिये। रोज़ कटे हुए हाथ, पैर, नाक, कान, उखड़े हुए दाँत और निकली हुई आँखें, टोकरों में भर भर कर अदालत से बाहर पहुँचाई जाती थीं, जिनको देख देख कर लोग डर गये। ज़ुल्म और अन्याय बंद हो गया। ७ बरस तक फिर कोई फ़रयादी उसके पास नहीं आया।

मोतसम बिल्लाह १३

बग़दाद के ख़लीफ़ा मोतसम बिल्लाह का एक सेनापति कुछ सिपाहियों सहित एक ग़रीब के घर में उतरने लगा तो उसने कहा कि यहाँ मत उतरो।

सेनापति—क्या तेरे पास न उतरने देने का कोई हुक्म है ?

ग़रीब आदमी—हाँ, है।

सेनापति—है तेा दिखा।

ग़रीब .क़ुरान ले आया और उसमें से यह आयत पढ़ कर उसको सुनाई "ला तदखलू बयूतं गैर बयूत कुम" अर्थात् अपने घर के सिवाय और घरों में मत जाओ।

सेनापति—यह क्या लाया, ख़लीफ़ा का कोई हुक्म हो तेा ला।

ग़रीब—यह ख़लीफ़ा के भी ख़लीफ़ा * का हुक्म है। पर सेनापति ने न माना, ज़बर्दस्ती उसके घर में उतर गया और उसको मार कर निकाल दिया। तब वह ख़लीफ़ा के पास गया और सब हाल अर्ज़ किया। ख़लीफ़ा ने सेनापति को बुला कर जवाब तलब किया और सुन कर कहा कि तूने तीन .क़ुसूर किये हैं :—

१ तेा इसके घर में ज़बर्दस्ती उतरा।

२ .ख़ुदा का हुक्म नहीं माना और मेरे हुक्म को उससे बढ़ कर जाना।

३ इसको नाहक़ मारा।

यह कह कर उसका पद उतार लिया और ग़रीब को राज़ी करने का हुक्म दिया। और कह दिया कि जो उसे राज़ी न करेगा तेा इस क़ुसूर में उसका मकान ग़रीब को दिया जावेगा और आयंदा .क़ुरान के हुक्म को मेरे हुक्म से बढ़ कर मानें, क्योंकि वह .ख़ुदा का हुक्म है और ख़ुदा का हुक्म सब हुक्मों के ऊपर है।

अमीर हबीबुल्लहख़ाँ १४

अफ़ग़ानिस्तान में हलाक नाम का एक गाँव है। वहाँ एक सिक्ख की लड़की पर कई मुसलमानों ने यह इलज़ाम लगाया कि इसने कलमा पढ़ लिया है। अफ़ग़ानिस्तान में यह क़ायदा है कि जो कोई कलमा पढ़ ले उसे मुसलमान होना पड़ता है; नहीं तेा मार डाला जाता है। परन्तु वह लड़की कहती थी कि न मैंने कलमा पढ़ा और न मैं कभी मुसलमानी होऊँगी।

* बादशाहों के बादशाह।

पुलिस उसको पकड़ कर थाने में ले गई और थानेदार ने आख़िरी हुक्म के लिए अमीर हवीबुल्लह ख़ाँ के हुज़ूर में उसका चालान किया। उन दिनों अमीर जलालाबाद में थे। दोपहर को लड़की उनके सामने लाई गई। आपने उसे देखते ही पूछा, क्या तू ख़ुशी से मुसलमान होना चाहती है?

लड़की—हरगिज़ नहीं।

अमीर—तो फिर यह तुझको क्यों पकड़ लाये हैं?

लड़की—कलमा पढ़ने का झूठा इलज़ाम लगा कर।

अमीर—क्या तू हरगिज़ मुसलमान नहीं होना चाहती।

लड़की—हरगिज़ नहीं।

यह सुन कर अमीर साहिब ने हुक्म दिया कि लड़की सिक्खों के हवाले की जावे। सिक्ख उसको ख़ुशी से जलालाबाद की धर्मशाला में ले गये, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का दरबार लगा हुआ था।

(लायल गज़ट जौलाई १६१३)

अकबर बादशाह १५

मारवाड़ में पहिले खुड़ाला नामक बड़ा गाँव चारणों का था। एक दिन चौधरियों के घर की एक औरत कुएँ पर पानी भरने गई। वहाँ जागीरदारों के एक नौकर ने कपड़े धोने को साबन घोल रक्खा था। औरत के डाल से पानी गिर कर साबन बह गया इसलिए उसने गाली दी। इस पर औरत ने भी उसको गाली दी। वह जागीरदारों का हिमायती था, इसलिए औरत को मार बैठा। औरत रोती हुई घर गई तो चौधरी रोने का सबब पूछ कर चाकर पर चढ़ गये और मारे लट्ठों के उसका कचूमर निकाल दिया। इससे जागीरदारों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ८।१० चौधरियों को मार डाला। उनके भाई बंद जोधपुर में नालिश करने गये। वहाँ उस समय राव मालदेव राज करते थे और चारणों का बहुत लाड़ रखते थे। इसलिए उनकी कुछ सुनाई न हुई। वे रो-पीट कर गाँव में लौट आये और कहने लगे कि हमारे आदमी भी मारे गये और कुछ न्याय भी न हुआ; अब क्या करना चाहिए। किसानों ने कहा कि यह बुरा रास्ता निकलता है, आज चौधरियों को मारा कल हमको मारेंगे। जागीरदार क्या हुए जमदूत हुए! राव जी

देश के धनी हैं, वे चारणों के दास हैं—अपनी सुनते नहीं। फिर कहाँ जावें और किससे पुकारें ? यह सुन कर एक किसान ने कहा कि सेर के ऊपर सवा सेर और राजा के ऊपर बादशाह। चलो दिल्ली चलें, और अकबर बादशाह से पुकार करें। यह बात मान कर २०० आदमी दिल्ली गये, पर वे बादशाह तक न पहुँच सके और कहने लगे कि यहाँ तो जोधपुर से भी बढ़ कर अन्धेर है। तब एक किसान बोल उठा कि अंधेर है तो दिन में ही मशालें लगाओ और पुकारो। आख़िर उन्होंने ऐसा ही किया। बादशाह ने यह अद्भुत रचना देख कर और हाय हाय सुन कर उन्हें बुला कर हाल पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की कि मारवाड़ में खुड़ाला गाँव है। वहाँ के जागीरदारों ने हमारे १०। १५ आदमी मार डाले हैं। राज में इस मामले की कुछ सुनाई नहीं हुई, इससे हम यहाँ आये हैं। बादशाह ने कहा कि अभी मारवाड़ में हमारा दख़ल नहीं हुआ। तुम राव मालदेव ही के पास जाओ, वही तुम्हारा न्याय करेंगे—हम कुछ नहीं कर सकते।

चौधरियों ने कहा कि आप दिल्ली के बादशाह कहलाते हैं, फिर यह क्यों कहते हैं कि राव मालदेव के पास जाओ। हमारा न्याय जो वही कर देते तो हम यहाँ इतनी दूर क्यों आते? खै़र, मत सुनो; हम आपसे कहे जाते हैं कि हम पर यह ज़ुल्म हुआ है। इस ज़ुल्म का जवाब ख़ुदा की दरगाह में आपको भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कानों से सुन चुके हैं।

बादशाह ने इस दलील से लाचार होकर राव मालदेव को रुक्का लिख दिया कि इनका इन्साफ़ तुम फ़ौरन करो; जो न करोगे तो मैं यहाँ से चल कर चौथे दिन आऊँगा और इन्साफ़ करूँगा।

राव मालदेव ने रुक्का पढ कर दीवान से कहा कि चारनों को खुड़ाला से निकाल दो और यह लिख लो कि यह गाँव फिर कभी इनको न दिया जावे। क्योंकि जो दिया जावेगा तो यह फिर ज़ुल्म करेंगे जिसकी शिकायत बादशाह तक जायगी और वहाँ से फिर धमकी आवेगी। बादशाह को यह जवाब लिख दो कि हमने ज़ालिमों से गाँव छीन लिया और उनको अपने राज से निकाल दिया है।

२५। ३० बरस बाद राव मालदेव के बेटे मोटा राजा उदैसिंह को

राज़ी करके उन चारनों की औलाद अपने उसी गाँव को लिख देने का हुक्म दीवान के पास ले गई, मगर जब दीवान ने न लिखा तो उन्हों ने राजा से शिकायत की। राजा ने जवाब पूछा तो दीवान ने यह तलाक़[1] दिखा कर कहा कि पहिले ही इनके ज़ुल्म से बादशाह तक फ़रयाद पहुँच कर मारवाड़ छूट जाने की सूरत हो गई थी। मोटा राजा ने कहाकि जो ऐसा है तो इनको उस गांव के बदले दूसरा गाँव खाटावास लिख दो। वह अब तक बहाल है और उसी का वृत्तांत ऊपर लिखे इनसाफ़ की याद दिलाता है।

जहाँगीर बादशाह १६

एक दिन एक बुढ़िया ने जहांगीर बादशाह के पास आकर यह पुकार की कि मुकर्रब ख़ाँ मेरी लड़की को बंदरगाह खंभात में पकड़ ले गया था। जब बहुत दिनों पीछे मुझे पता लगा और मैं उसके पास माँगने को गई तो कह दिया कि वह तो मर गई है। बादशाह ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। बहुत छान बीन करने के पीछे इतनी खोज चली कि उसके एक नौकर ने ऐसा कुकर्म किया है। बादशाह ने उसको तो मरवा डाला और आधा मनसब मुकर्रबख़ाँ का भी इस कसूर में घटा दिया कि उसने इस ग़रीब बुढ़िया का इनसाफ़ क्यों नहीं किया। उस बुढ़िया को कुछ ज़मीन और रास्ते का ख़र्च दे कर बादशाह ने विदा किया।

औरंगज़ेब १७

औरंगज़ेब बादशाह अदालत में बैठ कर आप न्याय करते थे। एक दिन किसी बनिये ने फ़रियाद की कि एक मुसलमान पर मेरा रुपया आताहै। वह रुपया तो देता नहीं और कहता है कि आक़बत (परलोक) में दूँगा। मौलवी लोग कहते हैं कि परलोक में वह तुझे नहीं मिलेगा। क्योंकि हिन्दू तो सब दोज़ख़ (नरक) में जावेंगे और मुसलमान बेहिश्त (स्वर्ग) में। जो यह बात सच है तो आक़बत में भी मेरा रुपया नहीं पटेगा। हाँ, वह हज़रत को तो वहाँ ज़रूर मिल जावेगा, इस वास्ते हज़रत यहाँ मेरा रुपया देदें और उससे वहाँ लेलें। अगर इसके सिवा और कोई उपाय मेरे न्याय का हो तो वह करें।

---

(१) मारवाड़ में 'तलाक़' उस हुक्म को कहते हैं कि जो किसी ख़ूनी जागीरदार को अपनी प्रजा के ही एक या एक से ज़ियादः ख़ून कर डालने के दंड में जागीर छीन लेने के वास्ते दिया जावे जो फिर नहीं दी जावेगी।

बादशाह ने उस मुसलमान को बुला कर फ़रमाया कि इस का क़र्ज़ा क्यों नहीं चुका देते हो ? उसने अर्ज़ की, हुज़ूर जो मेरे पास कुछ देने को ही होता तो मैं आक़बत का इक़रार क्यों करता ?

बादशाह—जब यहीं नहीं दे सकते हो तो वहाँ क्या दोगे ?

मुसलमान— वहां जो खुदा दिलायगा तो दे दूँगा। क्योंकि वहां का इन्साफ़ खुदा के हाथ है।

बादशाह—खुदा क्या दिलायगा, वहाँ तुम्हारे पास देने को रुपया कहाँ से आजावेगा ?

मुसलमान—रुपयां की तो मैं नहीं जानता, पर मौलवियों से इतना सुना है कि क़र्ज़ा न तो दुनिया में छूटता है और न आक़बत में। यह नहीं मालूम कि खुदा क्या दिलायगा।

बादशाह ने मौलवियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि दुनिया से जो चीज़ मुसलमानों के साथ जावेगी वह उनका ईमान होगा और क़र्ज़दार से खुदा वही दिला देगा।

बादशाह—मुसलमान साहूकार को या काफ़िर साहूकार को भी ?

मौलवी—यह तो खुदा की मर्ज़ी पर है, क्योंकि वहां की अदालत का अख़तियार खुदा को है।

बादशाह ने कुछ सोच कर हुक्म दिया कि यह तो अच्छी बात नहीं कि एक मुसलमान का मूल धन जो ईमान है वह क़र्ज़े में काफ़िर को मिल जावे और मुसलमान उम्र भर मुसलमान रहने पर भी आक़बत में उस से विमुख हो जावे। इसलिये इस बनिये का क़र्ज़ा ख़ज़ाने से चुका कर मुसलमान को रसीद लिखा दो। वहां हुक्म की ही देर थी, तुरत फ़ुरत उस की तामील होगई और वह काइयाँ बनिया इस उक्ति से पहले लौट मुसलमान पर का अपना डूबा हुआ रुपया, उस दीनदार बादशाह से, बात की बात में ले आया।

नवाब हैदरकुलीख़ाँ १८

ऐसा ही एक न्याय हैदरकुलीख़ाँ ने भी किया था। जब वह गुजरात का

सूबेदार था तो एक मुसलमान के घर लड़का हुआ। मुसलमान इतना कंगाल था कि फूटी कौड़ी भी पास नहीं थी। उसने आसमान की तरफ़ मुँह करके कहा वाह या अल्लाह मियाँ! नादारी में यह बर खरदारी। आप की कुदरत के कुरबान! यह कह कर वह आंवल नाल गाड़ने के लिए गढ़ा खोदने लगा तो एक चमकीली सी चीज़ दिखाई दी। खोदा तो सोने का थाल निकला। वह उसको बाज़ार में ले गया। एक बनिया देख कर बोला कि यह थाल तो मेरा है। मुसलमान ने कहा, तेरा कहाँ से आया? मुझे खड्डा खोदते हुए ज़मीन में से मिला है। मैं कुछ तेरे घर से चुरा कर ले नहीं गया हूँ।

बनिया बोला, वहीं मेरे दादा ने गाड़ा था। मेरी बही में लिखा है। दोनों झगड़ते हुए हैदरकुलीखाँ के पास गये। उसने दोनों की बातें सुन कर और बनिये की बही देख कर कहा, सेठजी! तुम भी सच्चे हो और यह भी सच्चा है। तुम पुनर्जन्म को तो मानते ही होगे?

बनिया—क्यों नहीं, पुनर्जन्म तो हमारा धर्म ही है।

नवाब—तो अब झगड़े की कौन बात रही? तुम्हारे दादा ने इस मुसलमान के घर जन्म लिया है और अपने थाल का पता इस को बता दिया है, सो यह खोद लाया; नहीं तो इसको क्या ख़बर थी।

यह सुन कर बनिया चुप होकर सोचने लगा।

नवाब—सेठजी! अब कुछ सोचने की बात नहीं है। यह तो क़ुदरती न्याय तुम्हारे धर्मशास्त्र के अनुसार होगया। फिर नवाब ने मुसलमान को थाल दिला दिया। बनिया फिर कुछ न बोल सका।

नवाब वज़ीरुद्दौला। १६

जिन दिनों टोंक के नवाब वज़ीरुद्दौला लावे के ठाकुर से लड़ने को गये थे और लावे के क़िले को कई महीनों तक घेरे रहे थे तब लावे वाले टोंक से ही बारूद, सीसा और लड़ाई का दूसरा सामान ख़रीद कर ले जाते थे जिससे क़िला फ़तह नहीं होता था। एक दिन नवाब के भाई साहिबज़ादे मोहम्मद इबादुल्लाहख़ाँ ने वह सामान और ख़रीदने वालों को पकड़ कर नवाब के पास भेज दिया। नवाब ने उन लोगों को बुला कर पूछा कि,

तुम हमसे ही लड़ो और हमारे ही शहर से लड़ाई का सामान लाओ—यह कहाँ की भलमनसी है ? उन्होंने अर्ज़ की कि हुज़ूर खुद लड़ने पधारे हैं, इसको हम अपना अहोभाग्य समझते हैं। और सामान बिना लड़ नहीं सकते, सो वह टोंक से दाम देकर लाते हैं—चुरा कर नहीं लाते। हमारे पास पड़ोस में टोंक ही बड़ा शहर है। वहां से न लावें तो कहाँ से लावें। जयपुर और अलवर दूर हैं। आगे आप जैसा हुक्म दें वैसा करें। आप इन्साफ़ी हाकिम हैं और हमारे मालिक हैं। आप हमसे लड़ते हैं इससे हम को भी लड़ना पड़ा है।

न्यायी नवाब ने उनको छोड़ दिया और कहा कि यह सामान भी ले जाओ; और साहिबज़ादे को लिख दिया कि ये जितना सीसा बारूद ले जाना चाहें ले जाने दो; हमारा इनका मुक़ाबिला शेर और बकरी का सा है। जो इन बेचारों के पास गोली बारूद न होगी तो फिर लड़ेंगे कैसे ? हम इनको अपनी बहादुरी से हराना चाहते हैं, हैवानों की तरह हाथ पांव बांध कर नहीं मारना चाहते।

नवाब की इस न्याय-नीति की तारीफ़ सब रजवाड़ों में हुई और लावे वालों ने भी कहा कि लड़ने का मज़ा भी ऐसे ही धर्म-युद्ध लड़ने वालों से है।

(२)

उसी लड़ाई में रामपुर के दो पठान नौकरी के वास्ते नवाब के पास आये। नवाब ने कहा कि अभी हमारे यहाँ गुंजाइश नहीं है। पठानों ने कहा, लड़ाई तो होही रही है, रोज़ आदमी मरते हैं। इस वक्त तो बहुत गुंजाइश है और हम भी मरने को आये हैं। फिर आप हम को ना-उम्मेद क्यों करते हैं ? आप रईस हैं, आप की बड़ी सरकार है। दो आदमी का रखना क्या ज़्यादा है ?

नवाब ने कहा कि यह सब सही है मगर अभी हमको ज़रूरत नहीं है। पहले ही से बहुत नौकर हैं। पठानों ने कहा कि आप भी मुसलमान हैं, पठान हैं, और हम भी मुसलमान पठान हैं। फिर यह लड़ाई हिन्दुओं से होरही है, इस में मरना बड़े सबाब का काम है। आप हमको रोटी-कपड़े पर ही रख लीजिए और इस सबाब से महरूम न कीजिए। परन्तु नवाब ने वही जवाब दिया, तब उन्होंने कहा कि हम तो घर से आप की

लड़ाई का हाल सुन कर नौकरी करने को आये हैं। जब आप हमको नहीं रखते हैं तो हम लावे के ठाकुर के पास जाते हैं, वहीं नौकर हो जावेंगे उस समय आपसे लड़ने को आवें तो आप यह मत कहना कि मुसलमान और पठान होकर भी तुम मुसलमानों और पठानों से लड़ने को हिन्दुओं के नौकर होगये।

नवाब ने कहा कि अल्लाह की इनायत से जो लावे वाले तुम को रखलेंगे और तुम उन के साथ हमसे लड़ने आओगे तो हम कुछ बुरा नहीं मानेंगे। क्योंकि सिपाही का यही फ़र्ज़ है कि जिसका नमक खाये उसी का हक़ अदा करे।

उन दोनों पठानों ने न्यायी नवाब को सलाम करके अर्ज़ की कि आप अपनी फ़ौज को हुक्म दे दीजिये ताकि हम को लावे में जाने दें। नवाब ने कह दिया कि इन को मत रोको, लावे में जाने दो। वे मोरचों में से निकल कर लावे के दरवाज़े पर गये, पर किवाड़ बंद थे। तब इन्होंने पुकार कर कहा ठाकुर साहिब से कहो कि जो वे हमको अपने पास बुलावें तो हम अपना हाल अर्ज़ करें। ठाकुर कर्णसिंह ने दरवाज़ा खुलवा कर इनको बेधड़क अंदर बुलालिया। इन्होंने हिन्दुस्तानी सलामी के क़ायदे से तलवारें ठाकुर के आगे रख दीं और सलाम करके अर्ज़ किया कि हम लड़ाई की ख़बर सुन कर अपने घर से नवाब के पास नौकरी के लिए आये थे। परन्तु नवाब ने हमें नहीं रक्खा और कहा कि गुंजाइश नहीं है। तब हमने अर्ज़ की कि हमतो सिपाही आदमी हैं, सिर बेचते फिरते हैं। आप नहीं लेते तो हम लावे में जाकर ठाकुरों को बेचेंगे और उनके साथ आप से लड़ने आवेंगे तब आप यह न कहना कि मुसलमान होकर तुम हिन्दुओं की तरफ़ से लड़ते हो। नवाब ने राज़ी होकर हमको यहाँ आने का हुक्म और रास्ता देदिया है। इसलिए हाज़िर हुए हैं। अब आप क्या कहते हैं ?

ठाकुर ने उनकी और नवाब की सचाई की सराहना करके कहा कि यह भी तुम्हारा घर है, यहाँ ख़ुशी से रहो। नवाब साहिब की बराबरी तो हम नहीं कर सकते, पर दस दस रुपये महीना और रोटी देंगे। उन्होंने कहा कि आप मालिक हैं, जो चाहे दें। हमको तो इस बात की ख़ुशी है कि यहाँ आने से हमारी मुराद पूरी होगई। सिपाही के वास्ते तो ५)

महीना ही ग़नीमत होता है जिसके बदले में वह अपना सिर कटा देता है। आप तो दूना देते हैं, हमको और क्या चाहिए।

ठाकुर ने कहा कि तुम भले और बहादुर सिपाही हो। हम भी ऐसे ही सिपाहियों के गाहक हैं। यह कह कर उनको एक मोरचे पर तैनात कर दिया। जब ठाकुर लोग नवाब के लश्कर से लड़ने जाते थे तो यह भी तलवार लेकर साथ हो जाते थे। ठाकुर से कई लोगों ने कहा कि ये मुसलमान और पठान हैं, इनका भरोसा न करना चाहिए। शायद नवाब के जासूस हों और कुछ दग़ा कर बैठें। ठाकुर ने कहा कि ये ऐसे आदमी नहीं मालूम होते और न नवाब साहिब दग़ा करने कराने वाले हैं।

कुछ दिनों पीछे जब नवाब से सुलह होगई तो ठाकुर ने इनको इनाम देकर विदा कर दिया।

नवाब की न्याय-नीति की ये दोनों बातें मुझसे मियाँ अबदुल रशीदख़ाँ ने टोंक में कही थीं, जो नवाब की सौतेली माँ के भतीजे थे और उस लड़ाई में मौजूद थे।

अमीर अबदुल रहमानख़ाँ २०

सुना है कि क़ाबुल के अमीर अबदुल रहमानख़ाँ दौरा करते हुए एक बेर किसी गाँव के पास ठहरे थे। उनके लश्कर में हिन्दू भी थे, जिनके वास्ते एक हिन्दू हलवाई का लड़का मिठाई लेकर जाता था। रास्ते में अमीर के एक अर्दली ने उसके ख़ोमचे में हाथ डाल कर कुछ मिठाई उठाली। यह देख कर हिन्दुओं ने उस हलवाई की मिठाई नहीं ली। वह अमीर के पास फ़रयाद करने गया तो अर्दलियों ने उसे डेरे में ही न जाने दिया। तब वह पाख़ाने के डेरे के पास जा खड़ा हुआ। जब अमीर अपने डेरे से निकल कर पाख़ाने में जाने लगे तो इसने सामने जाकर अर्ज़ की कि हुज़ूर के एक अर्दली ने मेरे ख़ोमचे में से मिठाई उठा ली है, उसका हाथ लग जाने से मेरी मिठाई नहीं बिकती। क्योंकि हिन्दू लोग नहीं लेते हैं जिनके वास्ते मैं लाया था। अमीर ने पूछा, तू उसे पहचान लेगा? लड़के ने कहा, हाँ। अमीर ने उसी वक़्त सब अरदलियों को बुलाया। लड़के ने पहचान कर उस अरदली का हाथ पकड़

लिया। अमीर ने उससे पूछा तो वह डर के मारे इन्कार नहीं कर सका—सच बोल गया। अमीर ने उसी दम पिस्तौल से उसको मार दिया और लड़के को उसकी सारी मिठाई का मोल दिला कर कहा कि तू हिन्दुओं के वास्ते दूसरी मिठाई बना ला। फिर जो कोई तुझसे कुछ कहे तो मेरे पास आ जाना, मैं उसको ऐसी ही सज़ा देदूँगा। जो तू झूठी नालिश करेगा तो तेरे वास्ते भी यही सज़ा तैयार है।

बाबू ईशानचंद्र मुकर्जी २१

ये बंगाली बाबू अजमेर में एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, और ख़ज़ाने के अफ़सर, थे। इनके इनसाफ़ की यह आंखों देखी बात राजपूताना गज़ट के मालिक, मौलवी मुरादअली ने अपनी डायरी में लिखी है। एक दिन मेज़र रपटेन साहिब डिप्टीकमिश्नर ने, दिल्ली दरवाज़े के बाहर, कई जुवारियों को जुआ खेलते देख कर अपने अर्दली से उन्हें पकड़वाया और पुलिस में भेज दिया। वहां से वे बाबू साहिब की अदालत में आये तो बाबू साहब ने देखने वाला गवाह मांगा। पुलीस और अरदली ने कहा कि देखने वाले गवाह तो डिप्टीकमिश्नर साहिब हैं। बाबू साहब ने उसी दम साहिब को चिट्ठी लिखी कि, जो आपने इन जुआरियों को जुआ खेलते देखा हो तो अदालत में आकर गवाही दीजिए। साहिब ने अपने मातहत हाकिम का ऐसा हुक्म देख कर अपना अपमान माना। उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, पर अर्दली की ज़बानी कहला भेजा कि हमने देखा ज़रूर है; क्या तुम हमारे कहने का पतियारा नहीं करते? हम वहां न आवेंगे। बाबू साहब ने जवाब सुन कर मिसल पर यह हुक्म लिखा कि इस मुक़द्दमे में पुलीस जुआ खेलने के औज़ार, ११≡) नक़द, ताश के ३ पत्ते और ४ मुलज़िमों को लाई; पर आंखों देखने वाला गवाह साहिब डिप्टी कमिश्नर के सिवाय कोई नहीं है। परन्तु इस अदालत में साहब बुलाने से भी नहीं आते और न गवाही देते हैं, इस वास्ते हम मुलज़िमों को सज़ा नहीं दे सकते। वे छोड़ दिये जावें। मिसल दाख़िल दफ़्तर हो, जुआ खेलने के औज़ार ज़ब्त हो कर तलफ़ किये जायें।

मौलवी मुराद अली लिखते हैं कि मैं उस वक़्त वहीं मौजूद था। मैंने बाबू

अपील चीफ़ कमिश्नरी में की। कर्नल पेली साहिब ने अपील मंज़ूर करके सांडर्स साहिब से पूछा, बाबू ने डाक्टर की बिल्ली की सी आँखें बताईं तो क्या झूठ कहा? खुद मेरी आँखें, तुम्हारी आँखें, डाकृटर की आँखें और सब योरोपियन लोगों की आँखें बिल्ली की सी होती हैं। फिर ऐसा कहने में उसने कौन सा जुर्म किया? इसका जवाब सांडर्स साहिब से कुछ बन नहीं आया, और बाबू अपने ओहदे पर बहाल हो गये।

कर्नल पेली साहिब ने इस इन्साफ़ के साथ ही बाबू पर यह एहसान भी किया कि उनको कोटे में नौकर करा दिया। क्योंकि अजमेर में कमिश्नर और डाकृर उनके दुश्मन थे—इसलिए निभना मुश्किल था।

महारावल बेरीसालजी २३

मौलवी साहब ने उसी किताब में इन महारावलजी का भी एक इन्साफ़ लिखा है कि मेरे जैसलमेर पहुँचने से २० दिन पहले एक अजीब बात हुई थी। टोंक का एक मुसलमान मुल्ला कहीं से यहाँ आ गया था और एक मकान में लड़के पढ़ाने लगा था। इसकी जान पहचान एक पातर के लड़के से हो गई जिसकी माँ और बहनें दरबार में नौकर थीं। उस लड़के की एक ब्राह्मणी से दोस्ती थी। जब वह मुल्ला के पास आता था तो ब्राह्मणी भी आकर उससे मिल जाती थी। ब्राह्मणों ने उसको वहाँ आती जाती देख कर महारावल के गुरु चौबेजी से कहा कि जब से यह परदेशी मुसलमान यहाँ आया है तब से ऐसी ऐसी बदमाशियाँ होती हैं। चौबेजी ने कहा कि जब किसी औरत को उसके घर में देखो तो पकड़ लो और पीटते हुए दरबार में ले आओ। मैं उसको जैसलमेर से निकलवा दूँगा।

उस दिन से ब्राह्मण लोग मुल्ला के घर की देख भाल करने लगे। २।३ दिन के बाद जब वह मुल्ला लड़कों को पढ़ा रहा था तब वही पातर का लड़का आया और ब्राह्मणी भी आकर उससे बातें करने लगी। यह देख कर ब्राह्मण लोग मुल्ला को गालियाँ देते हुए मकान में घुस आये। पातर का लड़का तो छत पर से कूद कर भागा पर औरत न भाग सकी। मुल्ला ने कहा कि यह औरत तो मेरी माँ-बहन लगती है, जिससे मिलने आई थी वह भाग गया। तुम अपनी औरत को समझाओ, मुझे गालियाँ मत दो। पर

ब्राह्मण लोग न माने और लाठियां लेकर मुल्ला को मारने दौड़े। तब तो मुल्ला को भी ग़ुस्सा आ गया, वह तलवार निकाल कर उनकी तरफ़ झपटा। तलवार देख कर वे भागे। मुल्ला सदर बाज़ार तक उनके पीछे जाकर लौट आया। उसकी तलवार से कई ब्राह्मण ज़खमी भी हो गये थे। वे अपने साथियों को लेकर दरबार की ड्योढ़ी में गये। जब महारावल साहिब उनका हाल सुनने लगे, तो मुल्ला ने भी ड्योढ़ी पर पहुँच कर अर्ज़ कराई कि मुझे ग़ुस्सा आ रहा है, हुज़ूर किसी राजपूत या सिपाही को भेजें तो मैं उसको अपनी तलवार दे दूँ। महारावल साहिब ने एक राजपूत को भेजा, उसी को उसने तलवार सौंप दी। अब ब्राह्मणों ने जो मुल्ला के हाथ में तलवार न देखी तो महारावलजी के सामने ही उस पर हमला करना चाहा, परन्तु महारावल साहिब ने उनको डाँट कर मुल्ला को तोपख़ाने में भिजवा दिया और कहला भेजा कि जब तक इस मुक़दमे की तहक़ीक़ात न हो तब तक मुल्ला को आराम से रक्खें और खाना सरकार से मिला करे।

३।४ दिन के बाद महारावलजी ने जखमी ब्राह्मणों और मुल्ला को बुलाया। जब ब्राह्मण अपना हाल कह चुके तो मुल्ला ने अपनी बे-क़ुसूरी ज़ाहिर की। महारावलजी ने दोनों के बयान सुन कर कहा कि क़ुसूर ब्राह्मणों का ही है। जब किसी औरत से इसकी आशनाई नहीं है तो यह क्योंकर क़ुसूरवार है? ब्राह्मण इसको मारने क्यों गये? अपनी उस औरत को ही मारा होता और उस पातर के लड़के को पकड़ा होता जिससे इनकी औरत ख़राब होती है। यह कह कर ब्राह्मणों को बिदा किया और मुल्ला को उसकी तलवार और १०) अपने पास से दे कर समझाया कि अब तुम जेसलमेर से चले जाओ; नहीं तो ये लोग फिर कोई बड़ा इलज़ाम तुम पर लगा देंगे। मुल्ला उसी दिन जैसलमेर छोड़ कर पोकरण में चला आया और वहाँ भी लड़के पढ़ाने लगा।

एच० एम० रपटेन साहिब २४

शाहपुरे, इलाक़ा अजमेर, के सिंगियों ने कुछ जवाहरात अजमेर में सेठ गजमल के पास भेज कर पूछा था कि ये सच्चे हैं या झूठे। सेठजी ने इस बात से—यह सोच कर कि सिंगियों को खोटे खरे जवाहरात की परख

नहीं है—वे जवाहरात तो रख लिये और उनकी जगह खोटे जवाहरात डिब्बे में डाल कर लौटा दिये और कहला भेजा कि ये सच्चे नहीं हैं। सिंगियों को शंका हुई और पता लगाने से सेठजी की चालाकी का हाल मालूम हो गया। उन्होंने वहां के डिप्टी कमिश्नर एच० एम० रपटेन साहिब को वे जवाहरात दिखलाये और सब हाल कह कर अर्ज़ किया कि आप सेठजी को समझा कर असली जवाहरात दिला दें।

साहिब ने सेठजी को बुला कर पूछा तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर सिंगी झूठे हैं और उनके जवाहरात भी झूठे हैं। साहिब ने सिंगियों से सुबूत मांगा तो उन्होंने कई बातें ऐसी बताईं जो साहिब के हृदय में बैठ गईं। उन्होंने सेठजी से फिर कहा कि जवाहरात का निपटारा आपस में हो जावे और अदालत में न पड़े तो मेरी समझ में दोनों के वास्ते अच्छा है। सेठजी फिर इनकारी हो गये और बहुत ज़ोर से इनकारी हुए जिससे साहिब को सिंगियों से कहना पड़ा कि अब नालिश करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उन्होंने साहिब के पास ही नालिश कर दी। साहिब ने सेठजी को बुला कर जवाब पूछा तो वही 'नहीं' का जवाब था, जिसको सुन कर साहिब दूसरे काम में लग गये। सेठजी कुरसी पर बैठे रहे। कुछ देर में साहिब ने सेठजी से और बात छेड़ दी और उनकी अँगूठी की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया कि ऐसी तो मेम साहिब भी बनवाना चाहता है। सेठजी ने अँगूठी उतार दी और कहा कि यही हाज़िर है। साहिब अँगूठी लेकर दूसरे कमरे में गये और चपरासी को देकर कहा कि सेठानी के पास जाओ, कहना कि जवाहरात के मुक़द्दमे की रोबकारी हो रही है। सेठजी ने यह अँगूठी भेज कर कहलाया है कि जवाहरात दे दो, नहीं तो साहिब मुझे जेलख़ाने में भेज देंगे।

चपरासी दौड़ा हुआ गया। सेठानी ने अँगूठी तो रख ली और जवाह-रात दे कर कहा कि सेठजी को ही चुपके से देना और किसी को ख़बर न होने पावे। सेठजी जेलख़ाने में न जावें, घर आ जावें, इसका इनाम तुमको मैं भी दूँगी और सेठजी से भी दिलाऊँगी।

चपरासी लौट कर उसी कमरे में जा बैठा। कुछ देर पीछे साहिब आये तो उसने उनको जवाहरात का डिब्बा दे दिया। साहिब ने कचहरी में आकर

सेठजी से फिर कहा कि देखो सेठजी, मुक़द्दमा चल गया है, जो तुम्हारे पास जवाहरात हों तो अब भी दे दो। सेठजी ने कहा कि होते तो बार बार क्यों इनकार करता? साहिब ने यह सुना तो जेब से जवाहरात निकाल कर सेठजी के सामने रख दिये और पूछा कि, जो नहीं थे तो ये कहाँ से आये?

सेठजी देख कर सुन्न हो गये, कुछ न बोल सके। साहिब ने बाहर से मुद्दइयों को बुलाया। उन्होंने अपने जवाहरात पहिचान लिये और झूठे जवाहरात, जो सेठजी ने भेजे थे, वे भी साहिब के सामने रख दिये। साहिब ने कहा क्यों सेठजी? सेठजी ने चुपके से अपने जवाहरात जेब में रख लिये और सलाम करके कहा कि आप धन्य हैं। साहिब ने सिंगियों को उनके जवाहरात दे दिये और मुक़द्दमा ख़तम करके सेठजी को कुछ सज़ा भी दी।

डिपटी कमिश्नर हुशियारपुर २५

हुशियारपुर के पहाड़ी इलाक़े में अबनोटा एक पुराना क़सबा है। इसकी सरहद गरारिट गांव से मिली हुई है। इन दोनों गांवों के बीच में एक बड़ा जंगल है जिसे शिववाड़ी कहते हैं। इसमें से कभी कभी पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें और ईंटें निकल आती हैं। बूढ़े आदमी कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ एक बड़ा शहर था और कौरवों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य तपस्या करते थे, इसीलिए वह जंगल अब तक बड़ा पुनीत समझा जाता है। वहाँ कुछ प्राचीन मंदिर और समाधियाँ भी हैं। महात्मा लोग वहाँ ज्ञान-ध्यान में लगे रहते हैं। परन्तु कुछ समय से स्वार्थी लोग वहाँ शिकारें मारने और लकड़ियाँ काटने लगे थे जिससे उस पुण्य-स्थान का अपमान होता था और महात्मा लोग भी कष्ट पाते थे। निदान सन् १९१२ में कुछ सज्जनों ने इन अत्याचारों की पुकार हुशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर साहिब के कानों तक पहुँचाई, जो बड़े न्यायी और महात्मा हैं। वे महकमे माल के अफ़सर सैयद शरीफ़ हुसेन, राय बहादुर श्यामदास वकील और सरदार ठाकुरसिंह तह-सीलदार को लेकर उस जंगल में गये और अच्छी तरह से देख भाल कर यह हुक्म दे आये कि यह जंगल अपनी पहली हालत में रहना चाहिए, इसमें कोई आदमी मुर्दा जलाने के सिवा शिकार मारने और लकड़ी काटने न पावे।

आपकी इस न्याय-नीति से ज़िले भर के लोग राज़ी और अहसानमंद हो गये और अख़बारों ने लिखा कि दूसरे योरोपियन हाकिमों को भी ऐसा ही न्याय करना चाहिए।

पीटर २६

रूस का बड़ा बादशाह पीटर एक दिन राजमहल में सुख से सोया हुआ था और टाल्सटाई नामक सिपाही पहरे पर था।

उस समय एक शाहज़ादा आया और अंदर जाने लगा। सिपाही ने कहा कि ज़ार (सम्राट्) का हुक्म अभी किसी को अन्दर जाने देने का नहीं है।

शाहज़ादा—यह हुक्म साधारण लोगों के लिए है। मैं तो शाहज़ादा हूँ।

सिपाही—आप कोई भी हों, पर मैं न जाने दूँगा। शाहज़ादे ने ग़ुस्सा होकर सिपाही को कई कोड़े मार दिये। टाल्सटाई उस मार को सह गया और चुप हो रहा।

शाहज़ादा जब फिर अन्दर जाने लगा तो सिपाही ने फिर रोका और कहा कि आप चाहें तो मुझे और भी पीट लें, पर मैं तो ज़ार का ही हुक्म मानूँगा और आपको भीतर कभी न जाने दूँगा।

यह गड़बड़ सुन कर पीटर जाग उठा। दरवाज़ा खोल कर उसने पूछा, क्या है। शाहज़ादा अपना हाल कहने लगा। ज़ार चुप चाप सुनता रहा। जब वह कह चुका तो सिपाही को बुला कर कहा कि टाल्सटाई! तुमने मेरा हुक्म मानने में कोड़े खाये हैं, अब यह मेरी छड़ी लो और अपने मारनेवाले को उतना ही पीटो जितना उसने तुमको पीटा है।

शाहज़ादा—हुज़ूर यह तो छोटा सा अदना सिपाही है।

ज़ार—तो मैं इसको कप्तान बनाता हूँ।

शाहज़ादा—कप्तान होकर क्या यह मेरी बराबरी कर सकता है? मैं तो हुज़ूर के घराने का एक मेम्बर हूँ।

ज़ार—तो मैं इसे बाडी गार्ड करता हूँ।

शाहज़ादा—हुज़ूर जानते हैं कि मेरा दरजा जनरल का है।

ज़ार—अच्छा, तो मैं इसको भी जनरली देता हूँ। अब अपने बराबर वाले से पिटने में तुमको पछतावा न होगा।

टालसटाई—(जो एक ही दिन में सिपाही से जनरल बन गया था) मैं इनको माफ़ करता हूँ। मैंने अपना इन्साफ़ भर पाया। हुज़ूर भी माफ़ करें।

शाह मिनलिक २७

हबश के बादशाह मिनलिक का (जो कुछ समय पहले इस संसार में थे) एक न्याय अख़बारों में छपा था, वह यहाँ भी लिखा जाता है।

दो आदमी बेर खाने की सलाह करके जंगल में गये। एक तो बेरी पर चढ़ कर डाली हिलाने लगा और दूसरा नीचे गिरे हुए बेर बीनने लगा। दैव-योग से डाली टूट गई और वह ऊपर वाला आदमी नीचे वाले पर गिरा, परन्तु वह तो बच गया और यह गरदन टूट जाने से मर गया। इसके घर-वालों ने उससे ख़ून के बदले में १२०) माँगे। उसने नहीं दिये और कहा कि मैंने कुछ जान कर तो इसे मारा नहीं है। जो मैं ही मर जाता तो क्या मेरे घर वाले तुमसे ख़ून माँगते? मगर इन्होंने नहीं माना और अदालत में उस पर ख़ून का दावा कर दिया जो चलते चलते शाह मिनलिक तक पहुँचा। शाह ने दोनों का वाद-विवाद सुन कर मुद्दइयों से पूछा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि ख़ून के बदले ख़ून चाहते हैं। क्योंकि उसके गिरने से हमारा आदमी मर गया है। शाह ने कहा कि जो ऐसा ही है, तो हम इसको उसी बेरी के नीचे बैठाये देते हैं तुम में से कोई आदमी ऊपर से गिर कर इसको मार डाले और अपना बदला ले ले। मगर कोई इस बात पर राज़ी न हुआ और इस तरह उस बे गुनाह का पीछा छूट गया।

महाराज-कुमार छत्रसिंह २८

जब महाराजा मानसिंहजी ने महाराज-कुमार छत्रसिंहजी को युवराज पदवी देकर जोधपुर के राज्य करने की आज्ञा दे दी थी उस समय महाराज-कुमार की उम्र १५। १६ बरस से ज़ियादा नहीं थी। फिर भी वे न्याय और नीति से राज करते थे। एक दिन आप तलहटी के महलों के झरोखे में बैठे थे कि एक बनिये ने आकर नीचे से पुकारा कि मैं कुटुम्ब सहित पाली से

आता था, रास्ते में लुट गया। मेरा सब धन, माल गहना कपड़ा डकैत लूट ले गये। महाराजकुमार ने पूछा कि जहाँ यह वारदात हुई वह सीमा किस की थी। उसने अर्ज़ की कि रोहट के ठाकुर की।

महाराज कुमार—फिर तू ठाकुर के पास गया था ?

बनिया—गया था, परन्तु ठाकुर ने कुछ नहीं सुना और धक्के देकर निकाल दिया।

महाराज-कुमार ने दीवान को हुक्म दिया कि रोहट का पट्टा ज़ब्त कर दो। जब जोधपुर से ४। ५ कोस पर ही यह हाल है, तो मारवाड़ का राज तो सौ सौ कोसों में है, वहाँ क्या न होता होगा ? जागीरदारों को हज़ारों रुपये के पट्टे इस लिए नहीं दिये गये कि राज की रैयत उनकी सीमा में लुट जावे और वे चोरी और लूट का पता भी न लगावें।

ज्योंही राज की ज़ब्ती का हुक्म रोहट के पट्टे में गया त्योंही ठाकुर का अमल (अफ़ीम) उत्तर गया। वह दौड़ा हुआ जोधपुर में आया और पट्टा बहाल कराने के लिए अर्ज़ विनती कराने लगा। महाराज-कुमार ने कहलाया कि बनिये का जितना माल लुटा है पहले वह सब लाओ, फिर पट्टे की अर्ज़ कराना।

ठाकुर ने हार कर सब माल मँगा दिया। महाराज-कुमार ने बनिये से कहा कि सँभाल ले। उसने कहा कि और तो सब आ गया परन्तु मेरी घर वाली के चूड़े की तीवें नहीं आई जो सोने की थीं। महाराज-कुमार ने ठाकुर को उनके भी हाज़िर करने का हुक्म दिया। उनके वास्ते ठाकुर ने बहुत से बहाने किये और बनिये से कहा कि तू चाहे जितना रुपया ले ले और राज़ीनामा करदे, परन्तु बनिया भी बहुत कड़ाक था, उसने कहा कि मैं रुपया क्यों लूँ ? अपनी असली चीज़ लूँगा। इन्साफ़ देख कर वह भी ज़ोर में आ गया था। इधर महाराज-कुमार भी नहीं मानते थे और कहते थे कि जब सारा माल आ गया है तो तीवें क्यों नहीं आतीं। पर तीवें ठकुरानी के पास पहुँच गई थीं और ठकुरानी ने पसंद करके अपने चूड़े में जड़वा ली थीं। अब उसके चूड़े में से निकलवा कर देने में भी ठाकुर को ठकुरानी के आगे खिसियाना पड़ता था। परन्तु जागीर ठकुरानी से भी प्यारी थी, जिसमें ठाकुर और ठकुरानी दोनों की शान बनी रहती थी।

ठकुरानी रोई झींकीं तो बहुत, परन्तु ठाकुर को उसके चूड़े से निकलवा कर तीवें देनी पड़ीं तब बनिये ने भी राज़ीनामा दे दिया। परन्तु ठाकुर को बड़ी मुश्किलों से, बहुत दिनों पीछे, फिर अपनी जागीर मिली। इस इन्साफ़ को देख सुन कर दूसरे जागीरदार भी, जो चोरियां कराते थे और चोरी तथा लूट के माल का हिस्सा लेते थे, दिल में डर गये और जब तक महाराज-कुमार राज करते रहे, मारवाड़ में चोरी डकैती नहीं हुई।

मिस्टर फौरडम २६

लन्दन में पुलिस ने दो अंग्रेज़ों को दो हिन्दुस्तानियों की बेइज़्ज़ती करते हुए पकड़ा।

१—सेमुअल फोक्स जो किसी कम्पनी का डाईरेक्टर है।

२ कलाओ लोकस जो डाक्टर है।

डाक्टर तो पुलिस की अदालत में हाज़िर नहीं हुआ परन्तु डाईरेक्टर आगया था।

कानिस्टबल ने बयान किया कि मैंने इन दोनों को काले रंग के दो आद-मियों की तरफ़ झपटते देखा। उनमें से एक को ये गर्दन और बांह पकड़ कर हेमर स्मिथ सदर बाज़ार में लेजाने लगे। मैंने जाकर पूछा कि इसको क्यों पकड़ रक्खा है तो बोले कि कानिस्टबल! ज़रा इस आदमी की रंगत तो देखो।

कानिस्टबल ने यह भी लिखाया कि मैंने मुलज़िम से कहा कि तुम्हें थाने में चलना होगा तो यह कहने लगा, क्या एक काले वहशी (जंगली) के लिए?

फिर दोनों हिन्दुस्तानियों ने गवाही दी, परन्तु मुदाअले ने अपनी सफ़ाई में कहा कि मैंने तो बात तक नहीं की, छूना तो अलग रहा।

मजिस्ट्रेट ने मुलज़िम से कहा कि तुमने बड़े शर्म और बुराई की हरकत की है। देखो, ये हिन्दुस्तानी जेंटलमेन इसी राज्य के रहने वाले हैं जिस के हम और तुम हैं इसलिए वे हमारी हर तरह की भलमनसी के बर्ताव का हक़ रखते हैं, मेरी समझ में काले रंग का जेंटलमैन गोरे रंग के गुंडे से बहुत अच्छा है। तुम्हारी हरकत गुनाह से कम नहीं है, इस लिए

तुमको ३०) जुर्माने या एक महीने क़ैद की सज़ा दी जाती है और दूसरे मुलज़िम के नाम पर भी वारंट जारी किया जाता है।

राजपूत गज़ट लाहोर ने अपने १३ अपरेल सन् १९१३ के पर्चे में यहां तक इस ख़बर को छाप कर लिखा है कि ऐसे ईमानदार और अपने धर्म को पहचानने वाले कानिस्टिवल, जैसे कि लन्दन में हैं, और मिस्टर फौर्डम जैसे शरीफ़ तवीयत और मुन्सिफ़ मिजाज़ के मजिस्ट्रेट यदि हिन्दुस्तान में रक्खे जावें तो अँग्रेज़ी इन्साफ़ का दर्जा दूना हो जाय और अँग्रेज़ी राज्य की जड़ और भी जम जाय।

नव्वाब निज़ाम उसमान अलीख़ाँ बहादुर निज़ाम हैदराबाद ३०

आप इस समय दक्षिण हैदराबाद की वहुत बड़ी रियासत में राज्य करते हैं और वड़े न्यायी हैं। आप का यह सच्चा न्याय अभी कलकत्ते की अमृतवाज़ार पत्रिका में छपा है। वारंगोल ज़िले के हिन्दू-मुसलमानों में एक मसजिद का झगड़ा खड़ा होगया था। मुसलमान तो हिन्दुओं की वस्ती में मसजिद वनाने पर अड़े हुए थे और हिन्दू वनाने देना नहीं चाहते थे। जव हिन्दुओं ने किसी तरह से भी मुसलमानों को न मानते हुए देखा तो आपके हुज़ूर में अपील की। आपने इस मुक़द्दमे की तहक़ीक़ात के लिए एक कमेटी बना दी जिसके दो मेम्बर तो मुसलमान थे और एक हिन्दू था। कमेटी ने तहक़ीक़ात करके हिन्दुओं के सच्चे होने की रिपोर्ट की जिस पर आपने कमाल मुन्सिफ़ी से हिन्दुओं के हक़ में डिगरी देकर मुसलमानों को वहां मसजिद वनाने से रोक दिया।

उमर ख़लीफ़ा ३१

उमर विनुल आस, उमरख़लीफ़ा के जनरलों में वहुत वड़ा जनरल और मिस्र का अमीर (गवर्नर) था। मिस्र भी उसीने फ़तह किया था। एक वेर एक आदमी ने ख़लीफ़ा के पास आकर पुकार की कि उमर विनुल आस के वेटे मोहम्मद ने मुझे कोड़ा मारा और जव मैंने उसके वाप से फ़रयाद की तो उसने मुझे चार महीने तक क़ैद रक्खा। आपने उसी दम मोहम्मद

और उसके बाप के हाज़िर होने का हुक्म लिखा। जब वे दोनों आये तो तहक़ीक़ात करके फ़रयादी के हाथ में कोड़ा देकर कहा कि तू अपना हक़ मोहम्मद से ले ले। उसने सब लोगों के देखते हुए मोहम्मद के कोड़ा मारा। फिर आपने हुक्म दिया कि उमर बिनुल आस को चार महीने तक हवालात में रक्खो।

ख़लीफ़ा अबूजाफ़र ३२

बग़दाद के ख़लीफा अबूजाफ़र ने एक आदमी को, क़ुसूर करने पर, मारडालने का हुक्म दिया था। मुबारक नाम का भला आदमी उस समय दरबार में बैठा था। उसने ख़लीफ़ा से कहा कि ऐ मुसलमानों के अमीर! आप पैग़म्बर की हदीस (वाक्य) सुन लीजिए फिर अपने हुक्म की तामील कराइए।

ख़लीफ़ा ने कहा कहो। मुबारक ने कहा, पैग़म्बर ने ऐसा कहा है कि क़यामत[1] के दिन जब सब मरी हुई सृष्टि मैदान में जमा होगी तो एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा कि जिसको ख़ुदा के सामने उठने की ताक़त हो वह उठे। और तो कोई उठ न सकेगा परन्तु वह आदमी उठेगा जिसने किसी का क़ुसूर माफ़ किया होगा।

यह सुन कर ख़लीफ़ा ने अपने दिल में इन्साफ़ किया और क़ुसूर माफ़ करके उस आदमी को छोड़ दिया।

सुलतान मुराद और क़ाज़ी ३३

ख़ुजंद नगर में एक सिलावट अपने काम में बड़ा उस्ताद था। उसने सुलतान मुराद के हुक्म से एक मसजिद बनाई थी परन्तु वह सुलतान को पसंद नहीं आई। इससे ग़ुस्सा होकर सुलतान ने उस बिचारे के हाथ कटवा डाले, तब वह क़ाज़ी की अदालत में गया और क़ाज़ी से कहने लगा कि तू ख़ुदा का पैग़ाम पहुँचाने वाला और पैग़म्बर के क़ानून का रखवाला है। मैं बादशाहों का ग़ुलाम नहीं हूँ तो भी मुराद ने मुझ पर यह ज़ुलम कियाँ है। तू क़ुरान के मुवाफ़िक़ मेरे दावे का फ़ैसला कर दे।

[1] प्रलय।

क़ाज़ी ने सुलतान को बुलाया। सुलतान गुनहगारों के समान अदालत में आया और क़ाज़ी के आगे .कुरान रखा हुआ देख कर डर गया। वह घबरा कर बोला कि मैंने जो किया है उससे पछताता हूँ और अपना गुनाह क़बूल करता हूँ।

क़ाज़ी ने कहा कि यह जो क़ानून (.कुरान) है इसमें गुनाहों का दण्ड देना लिखा है और लोग इसी क़ानून से जीते भी हैं। कोई मुसलमान किसी का .गुलाम नहीं है कि उस पर ज़ुल्म किया जावे और बादशाह का .खून भी सिलावट के .खून से बढ़ कर रंगीन नहीं है।

मुराद ने .कुरान का जो यह हुक्म सुना तो अपना हाथ क़ाज़ी के आगे इसलिए कर दिया कि सिलावट के हाथ काटने के बदले में काट डाले।

यह देख कर मुद्दई घबराया, उसने .कुरान की एक आयत पढ़ी जिसका यह मतलब है कि लोगों के साथ इनसाफ़ और नेकी करो, और कहा कि मैंने .खुदा और रसूल के वास्ते इसका गुनाह बख़शा और अपना इन्साफ़ भर पाया। अब इसे आप भी छोड़ दें।

क़ाज़ी ने सुलतान से कहा कि जब मुद्दई अपना दावा छोड़ता है और आप का .कुसूर बख़शता है तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। क्योंकि .कुरान में दो तरह के गुनाह लिखे हैं। एक तो बन्दों के गुनाह हैं और दूसरे .खुदा के गुनाह हैं। जो नमाज़ नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देते हज्ज नहीं करते, और काफ़िरों से लड़ने को नहीं जाते वे .खुदा के गुनहगार हैं। दूसरे बंदों के गुनाह हैं जो आपस में एक दूसरे पर ज़ुल्म करने से होते हैं। इन गुनाहों की सज़ा जो दुनिया में न मिल गई होगी तो उनको खुदा भी न बख़्शेगा। अच्छा हुआ जो आप इसी दुनियां में मुद्दई के राज़ीनामे से बरी होकर आक़बत (परलोक) में .खुदा के आगे इस .ज़ुल्म के गुनहगार नहीं रहे। सुलतान यह सुन कर मुद्दई और क़ाज़ी का अहसान मानता और दिल में उनको दुआएँ देता हुआ ख़ैरियत से अपने घर आया और ज़ुल्म करना भूल गया।

शाह अब्बास सफ़वी ३४

ईरान के इस बादशाह का यह न्याय इटली के एक ईसाई मुसाफ़िर

मेनूची ने अपने सफ़रनामे में, जिसका नाम "स्टोरिया डो मूगर" है, लिखा है।

आरमिनिया देश का कोई ब्यौपारी पारस में रहता था। उसकी सुंदर लड़की दुकान पर बैठा करती थी, जिस पर रीझ कर एक मुसलमान सिपाही उसके पास बैठा रहता था। वह कुछ दंगई भी था, इस लिए लोग उससे डरते और वहाँ सौदा लेने कम आते थे। सौदागर ने अपने घर में घाटा पड़ते देख कर बड़ी नरमी के साथ उस सिपाही से कहा कि आप यहाँ ज्यादा न बैठा कीजिए क्योंकि बिक्री बहुत कम होने लगी है। यह सुनतेही सिपाही ने म्यान से तलवार निकाल कर उस सौदागर का सिर उड़ा दिया और घोड़े पर चढ़ कर चल दिया। सौदागर की जाति वाले वहाँ के मजिस्ट्रेट मिरज़ा कोचक के पास गये। कुछ दिनों में मिरज़ा ने उस सिपाही को पकड़वा मँगाया और हुक्म दिया कि इसकी उँगलियों में छेद करके लोहू की ३ बूँद निकालो और सौदागर के वारिसों को इससे तीस या चालिस रुपये दिलवा दो।

आरमीनिया के लोग इस न्याय से राज़ी न हुए और शाह अब्बास के पास पुकारू गये। शाह ने सब हाल सुन कर कहा कि अभी तो आप लोग जावें, मैं इस हत्या को याद रखूँगा और हत्यारे को पूरा दंड दूँगा।

एक दिन मिरज़ा कोचक, किसी काम के लिए, बादशाह के पास गया और जब लौट कर जाने लगा तो बादशाह ने पूछा कि जो कोई ईसाई किसी मुसलमान को मार डाले तो उसको क्या दंड देना चाहिए?

मिरज़ा—उस मुसलमान के वारिसों को २००० रुपये खूं-बहा के दिला दे, फिर उस ईसाई को तरह तरह के कष्ट देकर मरवा डाले।

बादशाह—और जो ईसाई को मुसलमान मार डाले तो?

मिरज़ा—उसके वारिसों को ३० रुपये दिला कर उस मुसलमान की उँगली से ३ बूँदें खून की निकलवा दी जावें।

बादशाह—मुसलमान और ईसाई के दंड में इतना फ़र्क़ क्यों?

मिरज़ा—मुसलमान ईमानदार और खुदा के प्यारे हैं और ईसाई काफ़िर हैं। खुदा भी मुसलमानों को मान देगा और काफ़िरों का अपमान करेगा।

बादशाह—मैंने तो शरीअत (धर्मशास्त्र) में खूब विचार करके देख लिया है कि खून का बदला खून है। मैं इसी हुक्म को मानूँगा और इसी के अनुसार काम करूँगा। जो तुम ऐसा नहीं करते हो तो मेरी अमलदारी से निकल जाओ। यह कह कर बादशाह ने उस सिपाही के पकड़ लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने अर्ज़ किया कि वह तो माफ़ी की जगह में छुपा हुआ है—जो अपराधियों को शरण मिलने की जगह है और जहाँ से कोई नहीं पकड़ा जाता।

बादशाह ने कहा कि जो माफ़ी दे सकता है, वह बंद भी कर सकता है। जाओ, उसको पकड़ लाओ और सूली दे दो।

इस तरह उस न्यायी बादशाह ने एक ईसाई का न्याय करने में अपनी जाति का कुछ पक्षपात नहीं किया।

नवाब इब्राहिम अली ख़ाँ बहादुर ३५

(१)

आप टोंक के नवाब हैं और अपने बाप दादों से बढ़ कर न्यायी हैं। आप के दादा नवाब वज़ीरुदौला बहादुर ने हिन्दुओं पर यह बड़ी कड़ी क़ैद लगा दी थी कि न तो नया मंदिर शहर में बनावें और न पुराने मंदिरों की मरम्मत करावें। एक नया मंदिर जो रायजी के तख़ते में बना था, वह गिरा दिया गया था। आप के पिता नवाब मोहम्मद अलीख़ाँ बहादुर ने तो तीन पुराने मंदिर ही गिरवा दिये थे। परन्तु आप ने हिन्दुओं की पुकार सुन कर यह इन्साफ़ किया कि उनको पुराने मंदिरों की मरम्मत करने का भी हुक्म दे दिया और नये मंदिर बनाने का भी।

अमीरगंज में एक मंदिर आप के, परदादा नवाब अमीरुद्दौला बहादुर के राज में बना था, उसके ठाकुरजी का फूल-डोल जल-झूलनी एकादशी के दिन मुसलमान लोग नहीं निकालने देते थे। आप ने हिन्दुओं की यह पुकार भी सुनी, और फूल-डोल बड़े धूम धड़के से निकलवा दिया।

(२)

आप के छुट भइयों में अहमदख़ाँ साहिबज़ादे हिन्दू धर्म के बड़े

द्वेषी थे। उनके रहने को राज से एक बड़ी हवेली मिली थी। उससे मिली हुई एक मस्जिद भी थी। उस हवेली और मस्जिद के बनने के पहले ही से जल-झूलनी ग्यारस के दिन, टोंक के सारे मंदिरों के फूल-डोल उधर से निकला करते थे—कभी बंद नहीं हुए थे। मगर एक साल अहमदखाँ ने कहा कि मैं मस्जिद के नीचे से बुतों (मूर्तियों) को नहीं निकलने दूंगा—मरूँगा मारूँगा। बहुत से धुनिये जुलाहों को भी हथियार देकर मसजिद में भर दिया और आप भी गाज़ी या शहीद का पद पाने के लिए तैयार हो बैठा। जब फूल-डोल बाहर से लौट कर आने लगे तो उनको रोक दिया और हिन्दुओं से कहला भेजा कि यहाँ से आगे मेरी हवेली की तरफ़ बढ़े तो मार दूँगा और लूट लूँगा। हिन्दू पुराना रास्ता छोड़ना मुनासिब न समझ कर दूसरे रास्ते से आप के पास फ़रयादी गये। आप क़िले से रिसाला लेकर उसी वक्त सवार हुए और अहमदखाँ की हवेली को घेर कर मस्जिद में जो फ़सादी आदमी जमा हो रहे थे उनसे कह दिया कि निकल जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। यह हुक्म सुनते ही वे तो वहाँ से भाग गये और मियाँजी हवेली से बाहर नहीं निकले। फिर आपने हिन्दुओं को हुक्म दिया कि अपने फूल-डोल उसी तरह गाजे बाजे से निकाल ले जाओ; देखें अब कौन रोकता है? यह फ़रमा कर रिसाले को आगे कर दिया और आप कुछ दूर तक डोलों के पीछे रहे। इस तरह आप ने उस दिन हिन्दुओं के धर्म की रक्षा की और उनके प्राणों को भी बचा दिया, वर्ना उस समय सैकड़ों भूखे प्यासे व्रती मर्द औरतों के प्राण चले जाते। गवर्नमेंट में भी आप के इस इनसाफ़ की तारीफ़ हुई। फिर अहमदखाँ शहर से निकाले गये। उनको मैंने नसीराबाद में खाट पर पड़े हुए देखा था। सीधे सनक हो गये थे। टोंक जाने के लिए तरसते थे। मैं बूँदी जाता था। मुझसे बोले कि महरबानी करके छावनी देवली में बलदेव बिहारीलाल मीर मुनशी एजंटी हाड़ोती और टोंक से मिल कर मेरे वास्ते पूछना कि सदर से क्या हुक्म आया है। पूछने पर उन्होंने कहा कोई हुक्म नहीं आया। यही मैंने उनको लिख भेजा। फिर न मालूम क्या हुआ। परन्तु तवारीख़ टोंक से जाना गया कि तभी थोड़े समय में उनका देहांत भर जवानी में, हो गया था। ऐसे ज़ालिमों

की उम्र कोतह हुआ ही करती है। नवाव साहव के वास्ते आप की हिन्दू प्रजा के दिल से यही दुआ निकलती है कि आप वड़ी उम्र पावें और सलामत रहें। आप को न्याय के प्रभाव से सुख-पूर्वक राज करते हुए ५० वरस हो गये हैं। जव कि आप के दादा ने ३० और वाप ने ३ ही वरस राज किया था। और आप की उम्र भी वाप दादा परदादा से ज़ियादा है।

इलाहावाद हाईकोर्ट का एक इन्साफ़ ३६

वल्ला चौवे को मार डालने के अपराध में, मेरठ के दौरा जज ने तीन आदमियों को फांसी की सज़ा दी थी, जिन में एक तो १४ वरस का ही लड़का था। इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की तो वहाँ के जज माननीय नाक्स और वाल्श ने गवाहों की गवाही और दौरा जज की तजवीज़ पढ़ कर तीनों को छोड़ दिया और हुक्म में लिखा कि यह गवाही और दौरा जज की तजवीज़ों में सज़ा से मन में वहुत कुछ संदेह उपजता है इस लिए हम उसको रद्द करते हैं।

यदि हाईकोर्ट के जज भी दौरा जज की भांति पुलिस के गवाहों पर विश्वास कर लेते तो तीन वेकुसूर आदमी मुफ्त में ही फांसी पर लटक जाते। (पाटलीपुत्र आसोज सुदि ३ संवत् १९७३)।

आलमगीर वादशाह के वक्त का एक इन्साफ़ ३७

वादशाही ज़माने में जैसा इन्साफ़ होता था उसके एक कागज़ का उल्था यहाँ दिया जाता है। यह कागज़ नागोर के एक ब्राह्मण के पास है। वह कायस्थों का पुरोहित है। इस कागज़ के दहिने कोने पर आधी मोहर है जिसमें आलमगीर वादशाह का नाम है, नीचे की आधी मोहर उठी नहीं है। इसमें अजमेर के सूवेदार इज़्ज़तखाँ का नाम होगा। वायें कोने पर क़ाजी अवदुलरज़्ज़ाक की मोहर और दोनों के वीच में क़ाज़ी अवदुल रहीम की मोहर है। तीनों मोहरों में वादशाह के नाम की मोहर कुछ ऊँची है।

उल्था

इस लिखने का यह सवव है कि नागोर शहर के सिलावट सुलतान

पीरा के बेटे और सुलतान के भतीजे गौहरशाह और घासी ने महकमें अदालत अजमेर में द्वारिकादास के बेटे रामचंद्र के पोते नरसिंहदास, रामचन्द्र के पोते जगजीवन के बेटे कुशलसिंह को अपने साथ लाकर उनके सामने यह दावा किया कि एक मसजिद जो शहर नागोर की हदों से मिली हुई है, हमारी बनाई हुई है । इन्होंने उस मसजिद का रास्ता बंद कर दिया है और उस पर दीवार उठा ली है। हम इन लोगों से यह चाहते हैं कि ये उस दीवार को गिरा दें और मस्जिद का रास्ता खोल दें मगर यह नहीं मानते हैं । इन्होंने उसके जवाब में कहा कि यह ज़मीन जिस पर हमने दीवार उठाई है हमारी मौरूसी है और एक मुद्दत से बग़ैर दीवार के पड़ी रही थी इस लिए लोग उस रास्ते से मस्जिद में आते जाते थे। मस्जिद का मामूली रास्ता तो अलग है। इस पर जो इनसे गवाह मांगे गये तो कहा कि गवाह नागोर में हैं। दूर होने से अजमेर में नहीं आ सकते। सैयद और अमीर इज़्ज़तख़ाँ ने अपने भरोसे के एक सवार आलमख़ाँ को अमीन के तौर दोनों फ़रीक़ के साथ शहर नागोर में भेजा कि इस मामले का असली हाल तहक़ीक़ करके आवें और बयान करें ताकि जैसा शरीअत का हुक्म हो किया जावे। सवार ने आकर ज़ाहिर किया कि शहर नागोर के कई रहने वालों ने गवाही दी कि वह ज़मीन जिस पर इन लोगों ने दीवार उठाई है इन्हीं की मौरूसी है और मस्जिद का मामूली रास्ता अलहदा है। जैसा हाल था वह लिखा गया तारीख़ १५[1] जमादि उलअव्वल सन् १३ जलूस मुवाफ़िक़ सन् १०८२

महज़रनामा

यह बयान इस हाल का है कि कुशलसिंह कायथ और गोहर सिलावट ने एक दीवार के झगड़े के वास्ते महकमें अदालत अजमेर में पहुँच कर फ़रियाद की और उसकी तहक़ीक़ात के वास्ते आलमख़ाँ सवार तैनात

---

१ असोज वदि १ संवत् १७२८ (९ सितम्बर सन् १६७१)

किया गया। वह नवाब[1] का हुक्म भी यहां के अमीर और सरदार राव रायसिंह[2] के मुत्सद्दियों के नाम लाया है कि तहक़ीक़ात करके सच्चे को सच्चा करें। रावजी के मुत्सद्दी, आलमख़ाँ, सब, हाली मुवाली, उस ज़मीन पर गये और देखा कि रास्ता मस्जिद का अलग है, दीवार पुरानी नीव पर खड़ी की गई है। गोहरशाह ने झूठा दावा खड़ा किया था। कुशलसिंह ने ता० २४[3] जीकाद सन् १४ जलूसी को दीवार के क़दीमी होने के गवाह मुत्सद्दियों और आलमख़ाँ के हुज़ूर में लाकर हाज़िर किये (गवाहों के नाम) बुरहानख़ाँ, अफ़ग़ान, ताज़ मोहम्मद, खरे का बेटा क़ौम, कंबोह ताजख़ाँ सिंधी—मुलतान—दौलतशाह चौहान, जमालशाह चौहान—मानशाह।

गवाहों ने ज़ाहिर किया कि यह दीवार पुरानी अपनी जगह पर थी और है—मस्जिद की राह अलग है। जिस किसी को इस हाल से ख़बर हो अपनी गवाही लिख दे ताकि फिर तकरार न हो।

गवाह हुआ आलमख़ाँ—नव्वाब इज्जतख़ाँ की सरकार का नौकर, गवाह हुआ जीवा पँवार, गवाह हुआ सिकंदर अफ़ग़ान, गवाह हुआ सुलेमान बड़गूजर, गवाह हुआ दरयाशाह दरबान, गवाह हुआ सैयद ताहिर, कि इन गवाहों ने मेरे हुज़ूर में गवाही दी है। मोहर

हिन्दी में

गवाही तखतमल क़ानूगो, गवाही व्यास भोजा, गवाही भागचंद कायथ, गवाही रामराय कायथ, गवाही स्योवल्लभ व्यास और गवाही रामदत्त व्यास।

नोट—कागज़ फ़ैसला और महजर की तारीख़ प्रायः १॥ बरस आगे पीछे है, शायद भूल से ऐसा हुआ हो।

---

१ यह जगह ख़ाली छोड़ी गई है, नवाब का नाम अदब से नहीं लिखा है। नाम इज्जतख़ाँ था, यह आगे मालूम होता है। यह इज्जतख़ाँ अजमेर का सूबेदार था।

२ नागोर उस वक़्त रायसिँह राठौड़ की जागीर में था।

३ चैत वदि ११ संवत १७२६ (४ मार्च सन् १६७३)